घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 244- रविवार 05- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री ने देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को किया समर्पित

ऊर्जा, सड़क, नागरिक उड्डयन एवं रेलवे की विकास परियोजनाएं | 8 कार्य | 13 हजार 923 करोड़ रुपए

भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा : पीएम मोदी

बाड़मेर,04 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को बाड़मेर के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए, उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2 हजार रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनजमेंट किया। इसी का परिणाम है, सिलेंडर 950 रुपए के करीब मिल रहा है। यहां देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के कंट्रोल रूम को देखा और एक्सपर्ट्स से बात की। इसके बाद रिफाइनरी का उद्घाटन किया। जयपुर मेट्रो के फेज-2 की आधारशिला (वर्चुअल) भी रखी।

'युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा'

अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल-डीजल से ही कंपनियों को 75 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये इतना बड़ा था कि एक नई रिफाइनरी बन जाए। ये घाटा सरकारी खजाने से भरा गया। युद्ध के समय भारत की दूसरे देशों से दोस्ती बहुत काम आई। पहले जहां 25-26 देशों से ईंधन खरीदते थे, वह 40 देशों तक पहुंच गया। युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा।

नया भारत अपने संकल्पों से पीछे नहीं हटता...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- दो महीने पहले रिफाइनरी में जो हादसा हुआ,उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा करना,ये कठिन परिश्रम का परिणाम है। सभी ने दिखा दिया,चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो,नया भारत अपने संकल्पों से न तो पीछे हटता है और न ही रफ्तार कम करता है। पश्चिमी एशिया में हुए युद्ध के कारण 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। इस दौरान भारत की दृढ़ शक्ति के कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया। भारत ने इस दौरान अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया।

बिना किसी विवाद,संघर्ष और लड़ाई के नर्मदा का पानी दिया...

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा...कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए ठोस काम नहीं किया। भाजपा क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था। राजस्थान को पानी देने की बात आई थी। देश के हर कोने में कई राज्यों में पानी को लेकर लड़ाई चल रही थी। राजस्थान के लोगों को लग रहा था गुजरात नर्मदा का पानी देगा या नहीं। उस समय मैं गुजरात का सीएम था, यहां बहन वसुंधरा सीएम थीं। हम दोनों ने मिलकर बिना किसी विवाद, संघर्ष और लड़ाई के गुजरात से राजस्थान को नर्मदा का पानी साझा किया। राजस्थान के कई गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है।

मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया,पीएम बोले- यहां हर साल 20 करोड़ चिप बनेंगी; 5 महीने में तीसरा प्लांट शुरू

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। साणंद में स्थित सीजी सेमी के ओएसएटी प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा- इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनेंगी। यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हम मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ वह चिप भी बनाएंगे जिनसे पूरी दुनिया चलती है। उन्होंने कहा- 20 साल पहले मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई। उस समय की केंद्र सरकार बड़े बयान दे रही थी तो कई कंपनियां आई भी लेकिन केंद्र सरकार को उस समय क्या हो गया, उनके पैरों में बेड़ियां लग गईं और बात आगे नहीं बढ़ पाई।

बांकीपुर उपचुनाव बना प्रतिष्ठा की लड़ाई भाजपा और प्रशांत किशोर आमने-सामने

पटना,04 जुलाई 2026। बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। निवर्तमान विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने और उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब सबसे बड़ा सस्पेंस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के नाम को लेकर बना हुआ है। इस बार यह उपचुनाव इसलिए भी बेहद खास हो गया है क्योंकि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। भाजपा के लिए यह मुकाबला महज एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की साख और सांगठनिक कौशल की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। रविवार को होने वाले अंतिम फैसले पर न केवल सत्तारूढ़ दल बल्कि उसके सहयोगियों और विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले करीब चार दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य किला रहा है। यहां नितिन नवीन और उनके पिता ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते हुए पार्टी की जड़ों को बेहद मजबूत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सीट भाजपा के लिए सीधे तौर पर आत्मसम्मान का विषय बन चुकी है, क्योंकि इसका परिणाम पार्टी की राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि भाजपा यहां अपना परचम लहराने में सफल रहती है, तो वह इसे अपनी अटूट राजनीतिक पकड़ के रूप में भुनाएगी।

काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली,3 श्रद्धालु घायल,मची अफरा-तफरी

वाराणसी,04 जुलाई 2026। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर-4बी के पास शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ड्यूटी पर तैनात पीएसी के एक जवान की कार्बाइन से कथित तौर पर अचानक गोली चल गई। गोली पत्थर से टकराने के बाद उसके छर्रे और गिट्टियां आसपास मौजूद श्रद्धालुओं की ओर उछल गईं,जिससे तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। घायलों की पहचान निक्की गुप्ता,राम बाबू और विकास यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा तीनों घायलों को मंडलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी की हालत सामान्य बताई है। किसी भी घायल को गंभीर चोट नहीं आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब सात बजे हुई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान पीएसी जवान की कार्बाइन से गलती से फायर हो गया। गोली सीधे किसी व्यक्ति को नहीं लगी, बल्कि पत्थर से टकराने के बाद उसके छर्रे और पत्थर के छोटे टुकड़े आसपास खड़े लोगों को लगे, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एहतियात के तौर पर मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

टेलीग्राम पर केंद्र सख्त : पायरेटेड फिल्में हटाने का आदेश,15 दिन में मांगी रिपोर्ट,सरकार ने रखी शर्तें ?

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसे पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) सौंपने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि केवल शिकायत मिलने पर सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्लेटफॉर्म को खुद भी प्रभावी कदम उठाने होंगे।

सरकार ने टेलीग्राम को दिए निर्देश

- पायरेटेड फिल्में और ओटीटी कंटेंट पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करें।
- 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर सरकार को सौंपें।
- सिर्फ एक-एक चैनल हटाने की नीति अब पर्याप्त नहीं होगी।
- पायरेसी रोकने के लिए व्यापक और सक्रिय व्यवस्था विकसित करें।
- कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत आवश्यक सतर्कता का पालन करें।

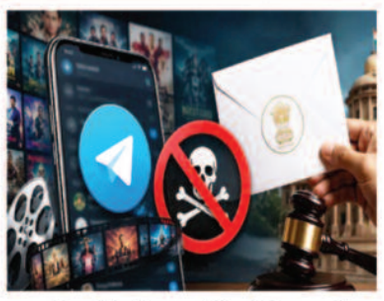

सरकार ने कॉपीराइट कानून को लेकर क्या कहा? सरकार ने टेलीग्राम को याद दिलाया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन केवल एक सामान्य कानूनी विवाद नहीं, बल्कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत आपराधिक अपराध भी हो सकता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत एक मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) के रूप में टेलीग्राम की जिम्मेदारी है कि वह उचित सतर्कता बरते और अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

टेलीग्राम से और क्या जानकारी मांगी गई? मंत्रालय ने टेलीग्राम से उसके शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी भी मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि निर्माता, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रसारण कंपनियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पायरेटेड सामग्री की शिकायत कैसे दर्ज करा सकती हैं और उन शिकायतों पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। सरकार का मानना है कि प्लेटफॉर्म के पास प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों को समय रहते रोका जा सके।

टेलीग्राम ने कार्रवाई नहीं की तो क्या हो सकता है? सरकार ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि टेलीग्राम पर पायरेटेड सामग्री उपलब्ध रहती है, कार्रवाई अधूरी रहती है या जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की जांच और कार्रवाई की जा सकती है।

बीजेपी विधायक राजू सिंह को चार साल की सजा,कोर्ट ने मुआवजा भी सुनाया

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर, 2018 की उस दुखद रात से जुड़ा है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया है कि यह पूरी राशि पीड़िता के पति को मुआवजे के रूप में दी जाए। यदि दोषी इस जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है,तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने मुख्य मामले के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी भाजपा विधायक को दोषी पाया और इस अपराध के लिए उन्हें दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि कानून सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के दुरुपयोग और लापरवाही के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। हर्षा फायरिंग की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बनी,बल्कि कानून व्यवस्था की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े किए थे। फैसले के दौरान,विधायक के बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से उनके मुवक्किल के लिए अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई का अनुरोध किया।

खामेनेई के अंतिम संस्कार में भावुक पल...

14 महीने की पोती का ताबूत देख छलक उठीं आंखें

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हाल ही में संपन्न हुआ, जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। तेहरान की ग्रैंड मोसाला मस्जिद में आयोजित अंतिम दर्शन कार्यक्रम के दौरान की एक बेहद हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। इस दौरान खामेनेई के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों के ताबूत भी रखे गए थे, जिन्होंने एक साथ प्राण त्यागे थे। इस त्रासदी ने पूरे ईरान राष्ट्र को शोक में डूबा दिया है। 28 फरवरी की उस दुखद घटना में अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई करीबी सदस्यों की असमय मृत्यु हो गई थी, जो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अंतिम दर्शन के समय मंच पर चार अन्य ताबूत भी रखे गए थे, जो उनके

परिवार के बेहद करीबी सदस्यों के थे। इनमें उनकी बड़ी बेटी बशरा अल-खामेनेई और उनके दामाद मिस्बाह अल-होदा बघेरी का ताबूत भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, मोजतबा खामेनेई की पत्नी जहरा हद्दाद आदेल का ताबूत भी वहां मौजूद था। इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी का छोटा सा ताबूत था, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित करने के लिए पर्याप्त था।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से आरंभ होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री किरण रीजिजू ने शनिवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र 2026 के लिए बुलाने की स्वीकृति दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले बजट सत्र के बाद से संसद के दोनों सदनों में संख्या बल से जुड़े समीकरण काफी बदल गए हैं। सत्ता पक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष की संख्या घटी है।

केंद्र सरकार ने 17 पाकिस्तानियों समेत 23 और दहशतगर्दों को घोषित किया आतंकवादी

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत गृह मंत्रालय ने 23 और दहशतगर्दों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम-1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इस कार्रवाई के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची में नामित आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। घोषित 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन आतंकवादियों को औपचारिक रूप से नामित किए जाने से उनके वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही,भर्ती क्षमता और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद,धन जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती में शामिल रहे हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार घोषित 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं। सभी वर्तमान में पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

संपादकीय

गाली से नहीं दबेगा सवाल...

डिजिटल पत्रकारिता क्यों चुभ रही है?

डॉक्टर्स डे के एक सार्वजनिक मंच से स्वतंत्र पत्रकारों,सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूब पत्रकारों के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया,उसने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। असहमति का उत्तर तर्क से दिया जाना चाहिए या अपशब्दों से? जब किसी पत्रकार को चोर, चोट्टा या उससे भी अधिक अशोभनीय शब्दों से संबोधित किया जाता है,तो यह केवल व्यक्ति विशेष का नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का भी अपमान है।

लोकतंत्र में पत्रकारिता की पहली जिम्मेदारी सत्ता,व्यवस्था और प्रभावशाली संस्थानों से सवाल पूछना है। यदि सवालों का जवाब तथ्यों से देने के बजाय पत्रकारों की नीयत और व्यक्तित्व पर हमला किया जाने लगे,तो यह स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं माना जा सकता।

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पत्रकारिता ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक स्वतंत्र पत्रकार गांवों,कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे हैं,जहां अक्सर मुख्यधारा की मीडिया की मौजूदगी नहीं होती। स्थानीय भ्रष्टाचार,स्वास्थ्य सेवाओं की खामियां,किसानों की समस्याएं,आदिवासी इलाकों के मुद्दे और प्रशासनिक लापरवाही जैसे विषयों को सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से व्यापक चर्चा तक पहुंचाया गया है। यही कारण है कि आम नागरिक का एक वर्ग आज सीधे ऐसे पत्रकारों से संपर्क करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी आवाज़ बिना देरी के सामने आएगी।

सरगुजा इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यहां अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में किसी बड़ी मीडिया संस्था के पहुंचने से पहले स्थानीय डिजिटल पत्रकार घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। कई बार अस्पतालों की मनमानी, भूमाफियाओं के विवाद,प्रशासनिक लापरवाही अथवा जनसमस्याओं को सबसे पहले इन्हीं प्लेटफॉर्मों ने उजागर किया है। ग्रामीणों के लिए किसी बड़े मीडिया कार्यालय तक पहुंचना कठिन हो सकता है,लेकिन एक स्थानीय यूट्यूब पत्रकार तक फोन पहुंचाना आसान होता है। स्थानीय भाषा और सामाजिक जुड़ाव के कारण लोगों का भरोसा भी इन पर बढ़ा है।

यह भी उतना ही सच है कि डिजिटल माध्यम में जिम्मेदारी और तथ्यपरकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। जिस प्रकार मुख्यधारा की मीडिया पर निष्पक्षता का दायित्व है,उसी प्रकार स्वतंत्र पत्रकारों पर भी तथ्यों की पुष्टि, संतुलित प्रस्तुति और पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोगों की संभावित गलतियों के आधार पर पूरे वर्ग को अपमानित करना उचित नहीं कहा जा सकता।

आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है,लेकिन गाली कभी तर्क का विकल्प नहीं हो सकती। यदि किसी रिपोर्ट से असहमति है तो उसका उत्तर तथ्यों से दिया जाना चाहिए,न कि पत्रकारों की गरिमा पर प्रहार करके। इतिहास बताता है कि सवाल पूछने वालों को चुप कराने के प्रयास हमेशा हुए हैं,लेकिन समाज अंततः उन्हीं आवाज़ों को याद रखता है जिन्होंने सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस किया। आज आवश्यकता किसी पत्रकार को गोदी,यूट्यूबर,चोर या चोट्टा जैसे विशेषणों में बांटने की नहीं,बल्कि इस बात पर विचार करने की है कि आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर किसके पास जा रहा है। यदि ग्रामीण,गरीब और पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले किसी स्थानीय डिजिटल पत्रकार को फोन करता है,तो यह केवल उस पत्रकार की लोकप्रियता नहीं,बल्कि व्यवस्था और पारंपरिक मीडिया के सामने भी एक गंभीर प्रश्न है।

पत्रकारिता का मूल्य उसके मंच से नहीं,उसके साहस,विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से तय होता है। गालियां कुछ क्षणों की तालियां दिला सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र को जीवित रखने का काम हमेशा सवाल ही करते हैं।

पूर्णतः हो शराबबंदी

चन्द्रकांत खुंटे क्रांति
जांजगीर-चाम्पा
(छत्तीसगढ़)

बंद करो! बंद करो! मौत के ये सरकारी ठेके
बंद करो ज़हर का यह घिनौना व्यापार
जिसने उजाड़ दिए हैं हँसते-खेलते लाखों आँगन
अब वक्त आ गया है कि उस सत्ता और तंत्र पर
एक तीखा हो निर्णायक प्रहार।
कंपनियों के शटरों पर परमानेंट ताले लटकें
ज़हरीली भट्टियों की आग में यह काला धंधा ही भस्म हो जाए।
देश का हर एक युवा अब नींद से जागे
क्योंकि यह समय याचना का नहीं
अब रण का शंखनाद होगा।
हर बस्ती, हर मोहल्ले से एक ही हुंकार उठे
शराब की हर एक बोतल आज चौराहे पर चकनाचूर हो।
सड़कों पर सिसकती लाखों माँ-बहनों की चीखें
अब बंद कमरों में नहीं
सीधे संसद के गलियारों में गूँजनी चाहिए
जो दुकानें अपनों का घर फूँकती हैं
उन्हें समाज के आक्रोश की आग में जल जाना चाहिए।
हाँ, ये मेरे निजी विचार हैं
पर यही विचार आज बदलाव की चिंगारी हैं
असहमत होने का अधिकार सुरक्षित है
सबका,लेकिन याद रहे,अब इंकलाब की बारी है
जब पैर से टूटेगी इस जानलेवा नशे की ज़ंजीर
तभी इस देश में आएगी एक असली आज़ादी
इस पूर्ण क्रांति के धधकते नारों से
यकीनन इस पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी।।

पत्रकार बनने के लिए क्या सचमुच पत्रकारिता की डिग्री चाहिए!

आपका मूल मैटर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ था...जिनमें कुछ उदाहरण और आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी भी थी...जो पिछले संपादन में संक्षिप्त हो गए...नीचे उसी विचार को संपादकीय पृष्ठ की साहित्यिक शैली में... बिना मूल भाव छोड़े...पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है...

पिछले कुछ समय से एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि जिसने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की,वह पत्रकार नहीं है। सुनने में यह तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन भारत के कानून,संविधान और पत्रकारिता के इतिहास–तीनों की कसौटी पर यह पूरी तरह टिक नहीं पाता।

सबसे पहले कानून की बात

भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता की डिग्री को अनिवार्य बनाता हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी संवैधानिक अधिकार की नींव पर भारतीय पत्रकारिता का विकास हुआ है। न तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी नियम में और न ही किसी केंद्रीय कानून में यह लिखा है कि बिना पत्रकारिता की डिग्री वाला व्यक्ति पत्रकार नहीं कहलाएगा।

अब इतिहास की बात

यदि पत्रकारिता की डिग्री ही पत्रकार होने की अनिवार्य शर्त होती,तो भारतीय पत्रकारिता के अनेक महान नाम इस कसौटी पर पत्रकार ही नहीं माने जाते। अरुण शौरी ने पत्रकारिता नहीं,बल्कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वे विश्व बैंक में अर्थशास्त्री रहे और बाद में

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अपनी निर्भीक खोजी पत्रकारिता के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। प्रणय रॉय ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में पीएचडी की। पत्रकारिता की औपचारिक डिग्री उनके पास भी नहीं थी,फिर भी उन्होंने भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता को नई दिशा दी।

राजदीप सरदेसाई ने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। अरुण पुरी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से आए और देश का सबसे प्रभावशाली मीडिया समूह खड़ा किया। एम. जे. अकबर ने अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन किया। विनोद मेहता और शेखर गुप्ता के पास भी पत्रकारिता की औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी लेखनी, संपादन, खोजी रिपोर्टिंग और विश्लेषण ने भारतीय पत्रकारिता को नई पहचान दी।

क्या कोई इन सभी की पत्रकारिता पर केवल इसलिए प्रश्नचिह्न लगा सकता है कि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी?

दरअसल,इन लोगों को उनकी डिग्री ने नहीं,बल्कि उनके साहस, तथ्यों की पड़ताल,निष्पक्षता,विश्वसनीयता और जनहित के प्रति समर्पण ने पत्रकार बनाया। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। मैं स्वयं पत्रकारिता में स्नातक हूँ और मानता हूँ कि यह एक उत्कृष्ट शैक्षणिक विषय है। यह भाषा,शोध, तथ्य-जांच,मीडिया कानून,नैतिकता और पेशेवर कौशल को मजबूत बनाता है। लेकिन डिग्री पत्रकारिता की योग्यता हो सकती है, पत्रकार होने की अनिवार्य कानूनी शर्त नहीं।

पत्रकार की पहचान उसके नाम के आगे लिखी डिग्री से नहीं होती...उसकी पहचान उसके सवालों से होती है। उसके तथ्यों से होती है...उसकी विश्वसनीयता से होती है...और सबसे बढ़कर,सत्ता से सच बोलने के साहस से होती है...

आज आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता का मूल्यांकन प्रमाणपत्रों से नहीं,बल्कि उसकी विश्वसनीयता, जनपक्षधरता और नैतिक प्रतिबद्धता से किया जाए। लोकतंत्र में पत्रकारिता कोई लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय नहीं,बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। इसलिए पत्रकार का सबसे बड़ा प्रमाणपत्र जनता का विश्वास होता है।

इसलिए अगली बार यदि कोई यह कहे कि जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है, इसलिए वह पत्रकार नहीं है,तो उससे विनम्रता से केवल एक प्रश्न पूछिए... कृपया वह कानून,वह अधिनियम या वह नियम दिखा दीजिए,जिसमें यह लिखा हो। क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारिता का वास्तविक प्रमाण-पत्र कोई विश्व विद्यालय नहीं देता,उसे सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, निर्भीकता,जनविश्वास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व प्रदान करता है।

आशीष वर्मा,
सामाजिक कार्यकर्ता,अंबिकापुर

आस्था से खिलवाड़

प्रो.शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

अधिकांश लोगों का कोई ना कोई इष्ट देव होता है जिसमें उनकी पूरी आस्था होती है। यह आस्था अटूट होती है। अयोध्या में राम मंदिर पर पहले मुगल शासक बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी जिसे कि बाबरी मस्जिद के तौर पर कहा जाता था। ऐसा करना हिंदू लोगों की श्रीराम जी में आस्था पर कड़ा प्रहार था। 500 सालों तक राम भगत अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कोशिश करते रहे। भाजपा नेता,लालकृष्ण आडवाणी ने बाबरी मस्जिद के बदले राम मंदिर बनाए जाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा की। फिर 6 दिसंबर, 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया लेकिन कोर्ट के एक फैसले के अनुसार हिंदू लोग गिराए गए उस ढांचे के स्थान पर केवल श्री राम की मूर्तियों की पूजा ही कर सकते थे। बाबरी मस्जिद के पक्षधर मुसलमान नेताओं तथा राम भक्तों में गिराए गए ढांचे पर कब्जे को लेकर कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। आखिर कार 9 नवंबर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित स्थल की पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम लल्ला को दे दी। इसके बाद राम जन्म के इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य मंदिर बनाया गया। इसके लिए भाजपा, आरएसएस,विभिन्न हिंदू संगठनों तथा साधु संत समाज ने योगदान किया। इस मंदिर की नींवे रखना,निर्माण के समय तथा प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री मोदी,मोहन भागवत तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। भव्य मंदिर निर्माण में पीएम ओ की भूमिका महत्वपूर्ण रही । प्राण प्रतिष्ठा के शुभ

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान थे। मंदिर के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदने,मंदिर का निर्माण करने तथा अन्य कार्यों के लिए पीएमओ के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें आरएसएस के महत्वपूर्ण सदस्य तथा मंदिर के कार्य से पिछले 40 सालों से जुड़े एक प्रख्यात व्यक्ति,चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिर के लिए जमीन खरीदने तथा इसके निर्माण के लिए राम भक्तों ने सोने और चांदी की ईंटें,हीरे जवाहरात और दिल खोलकर दान दक्षिणा दी। कुछ लोगों ने श्रीराम में अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा और किसी ने उम्र भर की कमाई मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी। राम भक्तों में मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए एक प्रकार से प्रतियोगिता चल पड़ी। राम के नाम पर भाजपा ने लोगों की भावनाओं को भुनाते हुए केंद्र तथा कई राज्यों में चुनाव भी जीत लिए। राम के नाम पर लोगों ने दिल खोलकर भाजपा तथा आरएसएस का समर्थन किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। जगह-जगह,जय श्री राम,का उद्घोष ही सुनाई पड़ता था। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोगों, धार्मिक व्यक्तियों तथा फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित बड़े-बड़े दिग्गजों ने श्री राम मंदिर में माथा टेक कर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहना ना होगा कि मंदिर निर्माण के कार्य में शुरू से लेकर आखिर तक प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत,योगी आदित्यनाथ तथा कुछ प्रमुख साधु संतों का वर्चस्व रहा लेकिन बागडोर पीएमओ के पास ही रही। मंदिर के संचालन में चंपत राय की प्रमुख भूमिका रही। वह ट्रस्ट के पूर्व महासचिव थे। मंदिर निर्माण के बाद लाखों लोग यहां पर श्री राम के दर्शन करने के लिए आया करते थे और अपने अपने समर्थ के अनुसार सोना, चांदी और रुपए माथा टेक जाते थे जिसे संभालने का काम चंपत राय तथा उसके विश्वास पात्र लोगों का था। मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें योगी आदित्यनाथ या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था।

लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का आधार जो कि श्री राम मंदिर में दान में दी गई सोना,चांदी की ईंटें तथा नगदी की चोरी की खबर ने मंदिर चलाने वाली ट्रस्ट तथा जिन लोगों पर विश्वास करके जिन्होंने चंदा दिया था उनको लेकर बहुत ठेस लगी। जिन दान चोरों ने गरीबों द्वारा अपना पेट काटकर मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया उन पापियों को नर्क में जगह भी नहीं मिलेगी। मंदिर में दान चोरी का मामला कुछ समय पहले सामने आया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,योगी आदित्यनाथ ने एस आईटी का गठन किया इसने अपनी रिपोर्ट में आठ लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से कुछ को जेल भी भेज दिया गया। एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया ताकि यह अपना काम और पूरा कर सके। आदित्यनाथ योगी ने कहा है,,दूध का दूध,और पानी का पानी हो जाएगा,लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के द्वारा गठित स ढ्ढञ्ज एक धोखा है और असली मुजरिमों को बचाने का बहाना ढूंढा जा रहा है। बड़ी मछलियां कौन सी हैं,मंदिर से चोरी किया गया पैसा अंततः किसके पास जा रहा था अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। मंदिर निर्माण में आरएसएस प्रमुख,मोहन भागवत तथा पीएम ओ की प्रमुख भूमिका रही है। लोगों ने हिंदुत्व तथा श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए इन्हीं के कहने पर दिल खोलकर दान दिया था तथा वर्तमान सरकार बनाने के लिए वोट भी दिए थे। इतने सुरक्षा प्रबंध थे, मंदिर के चढ़ावे को गिनने के लिए किया गया था उनके कपड़ों में कोई जेब नहीं होती थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सभी लोग चंपत राय के विश्वास पात्र थे, अब जब चोरी होने से लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है तो इन्हीं लोगों का यह फर्ज है कि मंदिर में चोरी करने वालों को दुनिया के सामने पेश करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं।

हे समाज,कुछ चेहरों की भूल पर हर बेटी को दोषी मत ठहराओ

कृति आरके जैन,बड़वानी,मध्यप्रदेश

यदि किसी मोहल्ले में एक घर की दीवार गिर जाए, तो क्या पूरा शहर जर्जर घोषित कर दिया जाता है? यदि एक डॉक्टर लापरवाह निकल जाए,तो क्या पूरा चिकित्सा जगत अपराधी हो जाता है? फिर आखिर सिया और सोनम जैसी आठ-दस लड़कियों के कुछ चर्चित मामलों को आधार बनाकर करोड़ों भारतीय बेटियों के चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगाने का साहस समाज कहाँ से ले आता है? आज सोशल मीडिया ने इसी अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति को सामान्य बना दिया है। कुछ नामों को बार-बार दोहराइए,उन्हें वायरल कीजिए और फिर पूरी पीढ़ी को उसी रंग में रंग दीजिए। यही है सिया-सोनम सिंड्रोम–एक ऐसा दृष्टिदोष,जहाँ मुट्ठीभर परछाइयों को इतना फैलाया जाता है कि करोड़ों बेटियों की उजली धूप भी दिखाई देना बंद हो जाती है।

यह केवल सोशल मीडिया का खेल नहीं,बल्कि चयनात्मक दृष्टि का परिणाम है। इतिहास बताता है कि जब भी समाज बदलता है, परिवर्तन से असहज लोग पूरे परिदृश्य को नहीं, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों के अनुकूल कुछ उदाहरण चुनकर उन्हें ही सच साबित करने लगते हैं। आज बेटियाँ शिक्षा, विज्ञान,खेल,सेना, न्यायपालिका, प्रशासन, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। यही बदलाव कुछ लोगों को अखरता है,इसलिए वे चेरी-पिकिंग के सहारे कुछ वायरल घटनाओं को पूरी पीढ़ी का चेहरा बना देते हैं। प्रश्न यह है कि यदि कुछ लड़कियों की गलती से सभी लड़कियों का आकलन होगा, तो क्या यही कसौटी पुरुषों पर भी लागू होगी? यदि उत्तर नहीं है, तो यह तर्क नहीं,बल्कि सुविधानुसार गढ़ा गया पूर्वाग्रह है।

विडंबना यह है कि जो बेटियाँ समाज को नई दिशा दे रही हैं,वे शायद ही कभी बहस का विषय बनती हैं। अरुणिमा सिन्हा ने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह कर अदम्य इच्छाशक्ति की मिसाल कायम की। सुनीता कृष्णन जैसी सामाजिक कार्यकर्ता ने हैदराबाद में हजारों लड़कियों को ट्रैफिकिंग और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से बचाया तथा उन्हें नई जिंदगी दी। ऐश्वर्या सागर जैसी युवा उद्यमी ग्रामीण लड़कियों को डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ रही हैं। इनके जैसी हजारों बेटियाँ प्रतिदिन समाज का भविष्य गढ़ रही हैं,फिर भी वे सुर्खियाँ नहीं बनतीं। वजह साफ है–योगदान नहीं,विवाद बिकता है। मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी जानते हैं कि नकारात्मक खबरें अधिक क्लिक,अधिक प्रतिक्रियाएँ और अधिक प्रसार बटोरती हैं। अच्छाई प्रायः शांत रहती है, जबकि बुराई शोर मचाती है। नतीजा यह कि समाज धीरे-धीरे शोर को सच और मौन को महत्वहीन मानने लगता है।

यदि वायरल वीडियो के शोर से बाहर निकलकर वास्तविक भारत को देखें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारतीय बेटियाँ आज उपलब्धियों के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई बार पुरुष खिलाड़ियों से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। डॉक्टर,इंजीनियर,वैज्ञानिक,पायलट,सैनिक, किसान और प्रशासक के रूप में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। एनएसएस और एनसीसी के आँकड़े भी सामुदायिक सेवा में युवतियों की उल्लेखनीय सक्रियता का प्रमाण हैं। उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश बढ़ रहा है, साक्षरता दर सुधर रही है और आर्थिक आत्मनिर्भरता का उनका संकल्प निरंतर मजबूत हो रहा है।

एक पृथ्वी,एक परिवार,एक भविष्य का हरित संकल्प है वन महोत्सव

पर्यावरण नहीं,अस्तित्व का प्रश्न है वनों का संरक्षण

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,
नई दिल्ली

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और उत्सव केवल सामाजिक उल्लास के अवसर नहीं रहे बल्कि प्रकृति और मानव के सह-अस्तित्व के प्रतीक भी रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन,जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण और जल संकट जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है,तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला'वन महोत्सव' केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में यदि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से है। भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय,नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों के जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

वनों की स्थिति विश्व स्तर पर चिंताजनक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पृथ्वी का केवल लगभग 31 प्रतिशत भूभाग ही वनाच्छादित है जबकि प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र अवैध कटाई, औद्योगिकीकरण,खनन और अवसंरचनात्मक विकास की भेंट चढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशकों में विश्व के अनेक वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से समृद्ध देश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र तथा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। पिछले आकलन की तुलना में कुल हरित आवरण में

1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। वहीं वन घनत्व के अनुपात में मिजोरम,अरुणाचल प्रदेश और मेघालय अग्रणी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के आधार पर विश्व में नौवां स्थान तथा वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हरित आवरण में हुई वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक सघन वनों के बजाय खुले वनों तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण हुआ है। प्राकृतिक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते बल्कि हजारों वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, सूक्ष्मजीवों और जल स्रोतों का जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इनका स्थान कृत्रिम पौधारोपण कभी नहीं ले सकता। विशेष चिंता का विषय पूर्वोत्तर भारत है,जहां सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं, झूम खेती, भूस्खलन तथा अन्य विकास गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से यह स्पष्ट किया है कि वनों के क्षरण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका सीधा असर वन्यजीवों और मानव जीवन पर पड़ता है। प्राकृतिक आवास नष्ट होने से हाथी,बाघ,तेंदुए और अन्य वन्यजीव भोजन एवं पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आने लगे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के बाद प्रतिपूरक वृक्षारोपण तो किया जाता है लेकिन पौधों की देखभाल, सिंचाई और संरक्षण की अनदेखी के कारण उनमें से अधिकांश जीवित नहीं रह पाते। केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही वास्तविक सफलता है।

आज वन मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े संरक्षक बन चुके हैं। वायु प्रदूषण,जल संकट और भूमि के मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं का सबसे प्रभावी और किफायती समाधान वृक्ष ही हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं,भूजल स्तर बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, हृदय रोग,अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साथ ही,अनियमित मानसून,भीषण हीटवेव,सूखा,क्लाउडबर्स्ट और जंगलों में आग जैसी घटनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वनों की भूमिका निर्णायक होगी।

बहरहाल, वन महोत्सव का वास्तविक संदेश केवल एक सप्ताह भर लाखों पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी सफलता इस बात में निहित है कि स्थानीय जलवायु के अनुरूप नीम,पीपल,बरगद,बेल,जामुन,अर्जुन और अन्य देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए तथा प्रत्येक पौधे की कम से कम तीन वर्षों तक नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। जब तक वृक्षारोपण को जनभागीदारी और जन-जिम्मेदारी का अभियान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हरित भारत का सपना अधूरा रहेगा। विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक प्रगति, आधुनिक तकनीक और अवसंरचनात्मक विकास आवश्यक हैं किंतु वे स्वच्छ वायु,शुद्ध जल और संतुलित जलवायु का विकल्प नहीं बन सकते। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो नदियां जीवित रहेंगी, भूजल समृद्ध होगा, जैव विविधता संरक्षित रहेगी और मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सरपंच पति समेत सात पर मारपीट का मामला दर्ज

बोरिंग पाइप लेने पहुंचे युवक से विवाद, बीच-बवाव करने आए भाई की भी पिटाई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
लखनपुर थाना क्षेत्र की कुन्नी चौकी पुलिस ने ग्राम कुन्नी में दो भाइयों से मारपीट के मामले में सरपंच पति समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम कुन्नी के डूमरघाट निवासी रमेश दास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे सरपंच पति हंस कुमार उईके ने उसे बोरिंग का पाइप लेने के लिए अपने घर बुलाया था। जब वह वहां पहुंचा तो हंस कुमार घर पर नहीं था। इस दौरान उसने सरपंच तारावती से हंस कुमार को फोन लगवाकर पाइप के संबंध में पूछताछ की। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर हंस कुमार ने अपने भाई भोले शंकर उईके को बुलाया और कुछ देर बाद ईको कार से अपने साथियों राजू उर्फ राजेश प्रजापति,शारदा साहू,राजकुमार सिंह,भोले शंकर उईके,संग्राम प्रजापति और गंगा प्रजापति के साथ मौके पर पहुंच गया। सभी ने गाली-गलौज करते हुए रमेश दास के साथ हाथ-मुक्कों और बांस के डंडे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे रमेश दास के भाई दिनेश दास के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना के बाद 3 जुलाई को रमेश दास ने कुन्नी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सरपंच पति सहित सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी),351(3),115(2) और 191(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई,रघुनाथपुर में अघोषित गोदाम से 242 बोरी उर्वरक जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन जिले में किसानों को समय पर एवं उचित मूल्य पर कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी,जमाखोरी एवं अवैध भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार सघन निरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा विकासखंड लुण्ड्रा के ग्राम रघुनाथपुर स्थित मेसर्स शुभम फर्टिलाइजर्स के अघोषित परिसर का कृषि विभाग की टीम ने उप संचालक कृषि श्री पीतांबर सिंह दीवान के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा विभाग को बिना पूर्व सूचना दिए अघोषित परिसर में बड़ी मात्रा में उर्वरकों का भंडारण किया गया था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन है। मौके पर जांच के दौरान टीम ने 148 बोरी यूरिया तथा 94 बोरी डी.ए.पी. (ष्ठक्क) सहित कुल 242 बोरी उर्वरक का अवैध भंडारण पाया। इस पर कृषि विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण उर्वरक को जब्त कर नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में लिया तथा पंचनामा तैयार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप,पत्नी को धमकाने के बाद पति ने घर में लगाई आग,लाखों का सामान राख

-संवाददाता-
बलरामपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
घरेलू विवाद के चलते पत्नी के साथ मारपीट,गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के बाद एक पति ने किराए के मकान में आग लगा दी। आगजनी में घर का करीब एक लाख रुपये का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,भनोरा निवासी प्रभा एक्का (38 वर्ष) ने थाना बलरामपुर में घर में आगजनी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर 29 जून 2026 को आगजनी की जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान सामने आया कि प्रार्थिया के पति जय जान केरकेट्टा ने घरेलू विवाद के दौरान पहले पत्नी से मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी और किराए के मकान में रखे घरेलू सामान को माचिस से आग लगा दी। आगजनी में पलंग,गद्दा, दीवान,आलमारी,फ्रिज,कूलर और कपड़े सहित करीब एक लाख रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। जांच में आरोप प्रमाणित होने पर बलरामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 111/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(ग), 296 और 351(3) के तहत मामला कायम किया। पुलिस ने आरोपी को 3 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि घरेलू हिंसा और आगजनी जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जहरखुरानी के मरीज को लेकर जा रही 108 एंबुलेंस को ट्रक ने मारी टक्कर

चालक व ईएमटी घायल,दूसरे एंबुलेंस से मरीज को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजा गया...

-संवाददाता-
बलरामपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जहर सेवन करने वाले मरीज को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले जा रही 108 एंबुलेंस शनिवार को बलरामपुर के अस्पताल चौक के पास सडक़ हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी,जिससे चालक और ईएमटी (परिचालक) घायल हो गए। हादसे के बाद मरीज को दूसरी एंबुलेंस से अंबिकापुर रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार 108 एंबुलेंस (क्रमांक सीजी 04 ओएक्स 4452) बलरामपुर से मरीज को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। अस्पताल चौक के पास रामानुजगंज की ओर से आ रहे ट्रक (सीजी 30 जे 9665) ने ओवरटेक करने की जल्दबाजी में एंबुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एंबुलेंस चालक राहुल कुमार यादव और ईएमटी सुदामा सिंह (दोनों लगभग 30 वर्ष) घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बलरामपुर ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया।

फरार गैंगस्टर के बहाने भाजपा ने पुलिस पर उठाए सवाल

बाहरी लोगों के सत्यापन और स्थानीय नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
झारखंड पुलिस की कार्रवाई के दौरान लंबे समय से फरार गैंगस्टर शब्बीर आलम उर्फ साबिर के अंबिकापुर में रहने और गिरफ्तारी से पहले फरार हो जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जिले में बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों के अनिवार्य सत्यापन,मुसाफिरी पंजी को प्रभावी बनाने तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाले स्थानीय नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा का कहना है कि यदि वर्ष 2001 से फरार एक आरोपी लंबे समय तक शहर में रह सकता है तो यह स्थानीय निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसे अपराधियों को स्थानीय स्तर पर संरक्षण और सहयोग मिलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले के सभी थानों में मुसाफिरी पंजी (मुसाफिर रजिस्टर) को अनिवार्य रूप से संचालित किया जाए,किराएदारों,लॉज,होटल,ढाबों एवं निजी प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा ने बस संचालन, गैरेज और परिवहन व्यवसाय से जुड़े संदिग्ध तत्वों की निगरानी बढ़ाने, शहर में सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत करने और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सघन जांच अभियान चलाने की भी मांग रखी। साथ ही अपराधियों की मदद करने वाले स्थानीय सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। हालांकि इस पूरे मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि फरार आरोपी लंबे समय से अंबिकापुर में रह रहा था तो उसकी मौजूदगी स्थानीय पुलिस की जानकारी से कैसे बाहर रही। क्या किराएदार सत्यापन की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है? क्या शहर में बाहरी व्यक्तियों की नियमित निगरानी की कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद है? यह घटना पुलिस की खुफिया व्यवस्था और स्थानीय सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि अपराध नियंत्रण केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए,बल्कि अपराधियों को शरण देने वाले पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। पार्टी ने उम्मीद जताई कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला महामंत्री विनोद हर्ष, जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला, निलेश सिंह, दिनेश शुक्ला, पीयूष त्रिपाठी, जन्मेजय पांडे, धनंजय मिश्रा, मनोज कंसारी, अभिमन्यु श्रीवास्तव, जतिन परमार, अमोघ कश्यप, सुधांशु चौबे, रवि विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

खेत में विवाद बना हत्या की वजह...गैती से वार कर किसान की हत्या,24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के राईखुर्द गांव में खेत में हुए आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने गैती से हमला कर किसान की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त गैती भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार, राईखुर्द निवासी तिलसाय ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई जीतू नागेश 2 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे खेत में हल चलाने गया था। इसी दौरान गांव के झकड़ी उर्फ बुधराम बरगाह से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बुधराम ने गैती से जीतू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया,जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी झकड़ी उर्फ बुधराम बरगाह (60 वर्ष), निवासी राईखुर्द, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद के चलते गैती से हमला कर हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गैती भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, सहायक उपनिरीक्षक नारायण सिंह तथा आरक्षक इबनुल खान, राजकुमार यादव और दिलीप मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अंबिकापुर में राजस्व मंडल की खंडपीठ स्थापित करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल (रेवेन्यू बोर्ड) की खंडपीठ स्थापित करने की मांग स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर की है। 4 जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल की मुख्य पीठ बिलासपुर में संचालित है। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहां राजस्व मंडल की कोई खंडपीठ नहीं है। इससे संभाग के नागरिकों और अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर बिलासपुर जाना पड़ता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरगुजा संभाग में सरगुजा,सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज,कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और जशपुर जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य है तथा बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक निवास करते हैं। ऐसे में राजस्व संबंधी मामलों के लिए बार-बार बिलासपुर जाना उनके लिए आर्थिक और मानसिक रूप से कठिन साबित होता है।

स्टेट बार काउंसिल ने बताया कि सरगुजा संभाग से हर वर्ष बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी प्रकरण राजस्व मंडल पहुंचते हैं। अंबिकापुर में खंडपीठ स्थापित होने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम और सुलभ होगी तथा आम लोगों को समय और धन दोनों की बचत होगी।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने का भी आरोप, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
गांधीनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर थाना में धारा 64(2)(एम),89 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को बलरामपुर जिले के त्रिकुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सुलसुली निवासी रमेश कुमार रवि उसके किराये के कमरे में आया। उसने प्यार और शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोप है कि गर्भ ठहरने पर आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। बाद में उसने शादी करने और साथ रखने से इनकार कर दिया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी रमेश कुमार रवि (23 वर्ष), पिता जगदीश रवि, निवासी सुलसुली, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने की घटना स्वीकार की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

बाइक की टक्कर से घायल ग्रामीण ने इलाज के दौरान दम तोड़ा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
राजपुर थाना क्षेत्र में सडक़ हादसे में घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लाऊ निवासी तीजो एक्का (60) को 3 जुलाई की शाम गांव में एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल,अंबिकापुर लेकर पहुंचे,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास,500 रुपये अर्थदंड

अवैध संबंध के शक में सरई के डंडे से की थी पत्नी की हत्या

-संवाददाता-
शंकरगढ़,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की सरई के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह मामला वर्ष 2024 का है। शंकरगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 158/2024 के तहत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरहू पिता रोनहा, निवासी ग्राम रकैया,थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर 2024 को सूचना मिली कि ग्राम रकैया में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मृतका के परिजन जंगू राम ने बताया कि आरोपी रामेश्वर स्वयं उसके घर पहुंचा था और बताया कि उसकी पत्नी रामपतिया उस पर अपनी मौसेरी बहन से अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने सरई के डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सरई का डंडा और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरहू (26 वर्ष) को 16 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना पूरी कर 17 अक्टूबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई के बाद 2 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमंत सराफ,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

दैनिक घटती-घटना की खबर के बाद विभाग जागा, रपटा के अप्रोच रोड पर शुरू हुआ डब्ल्यूएमएम कार्य

लगातार प्रकाशित खबरों के बाद पहले बना रपटा,अब एप्रोच सड़क निर्माण की भी हुई शुरुआत,बरसात में आवागमन सुचारु करने की कवायद तेज

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर 04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या को लेकर दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही खबरों के बाद संबंधित विभाग हरकत में आता दिखाई दे रहा है, पहले करीब 15 लाख रुपये की लागत से रपटा का निर्माण कराया गया और अब बरसात में आवागमन सुचारु करने के लिए रपटा तक पहुंचने वाली अप्रोच सड़क पर डब्ल्यूएमएम बिछाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 4 जुलाई 2026 के अंक में दैनिक घटती-घटना ने प्रमुखता से '15 लाख का रपटा...

अब सड़क के लिए जनता से चंदा!' शीर्षक से विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। खबर में यह प्रमुखता से उठाया गया था कि रपटा बनने के बावजूद एप्रोच रोड अधूरी होने से बरसात में पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खबर में यह भी बताया गया था कि मजबूर होकर ग्रामीण स्वयं चंदा एकत्र कर सड़क बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खबर के प्रकाशन के बाद उसी दिन संबंधित विभाग ने मौके पर मशीनें भेजकर अप्रोच रोड पर डब्ल्यूएमएम बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, शनिवार को जेसीबी, डंपर एवं अन्य मशीनों की सहायता से सड़क को उपयोग योग्य बनाने का कार्य चलता रहा, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह कार्य समय पर पूरा हो जाता है तो बरसात के दौरान आवागमन काफी हद तक सुगम हो सकेगा, ग्रामीणों ने कहा कि लगातार समाचार प्रकाशित होने से समस्या शासन-प्रशासन के संज्ञान में आई और अब धरातल पर काम दिखाई देने लगा है, उनका कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर भी नजर बनाए रखना आवश्यक होगा, दैनिक घटती-घटना ने इस मुद्दे को केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगातार कई समाचारों के माध्यम से उठाया, पहले रपटा निर्माण की मांग, फिर रपटा बनने के बाद एप्रोच रोड नहीं बनने की समस्या, उसके बाद ग्रामीणों द्वारा चंदा जुटाने की पहल और अब विभाग द्वारा सड़क निर्माण शुरू किए जाने तक पूरे घटनाक्रम को अखबार ने लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया, अब ग्रामीणों की उम्मीद है कि विभाग केवल अस्थायी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी सड़क का निर्माण कर इस समस्या का स्थायी समाधान करेगा, ताकि भविष्य में बरसात के दौरान लोगों को आवागमन के लिए फिर कभी परेशानी का सामना न करना पड़े।

'घटती-घटना' का अभियान जारी रहेगा

- पहले रपटा निर्माण का मुद्दा उठाया।
- कलेक्टर ने लिया संज्ञान और निरीक्षण किया।
- 15 लाख रुपये की लागत से रपटा का निर्माण हुआ।
- एप्रोच रोड अधूरी रहने का मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित किया।
- ग्रामीणों द्वारा चंदा जुटाने की खबर प्रकाशित हुई।
- अब विभाग ने अप्रोच रोड पर डब्ल्यूएमएम कार्य शुरू किया।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेन्द्र कठगर आ0 आर.डी. कठगर, उम्र-62 वर्ष, निवासी नेहरू वार्ड, था0तह0 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि सारिका आ0 रामदुलारे कोरी के स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लॉट नंबर 671 / 2 रकबा 0.89 हे0 भूमि है। सारिका आ0 रामदुलारे कोरी की मृत्यु लगभग 02 वर्ष पूर्व हो चूकी है । स्व0 सारिका के मृत्यु उपरांत उनकी एकमात्र वैध वारिस उनका पुत्र अजितेश माहौर है । तत्पश्चात आवेदित भूमि से भूधारक स्व. सारिका का नाम विलोपित कर उनके वैध वारिश अजितेश माहौर के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा स्व0 सारिका के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 15/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-01/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

पुलिस की गिरफ्त से छूटा सजायाफ्ता हत्यारा

अब जांच के घेरे में स्थानीय संपर्क और पुलिस समन्वय

झारखंड से अंबिकापुर तक फरारी का सफर,आजीवन कारावास प्राप्त दोषी के मामले ने खोले कई राज

अंबिकापुर में छिपा था वासेपुर हत्याकांड का सजायाफ्ता दोषी? फरारी ने खड़े किए कई असहज सवाल

सजायाफ्ता फरार आरोपी,पुलिस कार्रवाई और स्थानीय संपर्क...अब जांच बताएगी पूरा सच

झारखंड पुलिस की दबिश,आरोपी फरार...क्या स्थानीय सहयोग से बचता रहा सजायाफ्ता दोषी?

क्या वर्षों तक कानून को चकमा देता रहा सजायाफ्ता दोषी? अंबिकापुर में कार्रवाई के बाद कई परतें खुलनी बाकी

झारखंड पुलिस के ऑपरेशन ने उठाए बड़े सवाल, फरार दोषी तक कैसे पहुंचा संरक्षण का शक?

आजीवन कारावास प्राप्त दोषी की अंबिकापुर में मौजूदगी ने हिलाया सिस्टम,जांच के घेरे में कई पहलू

वासेपुर से अंबिकापुर तक : फरार सजायाफ्ता की कहानी या पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती?

वासेपुर दोहरे हत्याकांड के अपराधी को बस संचालक का संरक्षण?

झारखंड और बिहार में अपराध करके सरगुजा में अपना व साम्राज्य स्थापित करने वाले एक अंबिकापुर निवासी व्यक्ति और परिवार के दो दर्जन से अधिक सदस्यों की होगी जांच पिछले तीन दशक से सरगुजा जिले में नए-नए खरसिया नाका में जमा रखे हैं अपना पैर? उसके परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति है संदिग्ध...आए दिन कर रहे हैं विवाद, लोगों को उठा लेने जान से मारने की देते हैं धमकी, फरार मुजरिम को पनाह देते है, अभी अंबिकापुर की हालही घटना ने बैतूल और उसके परिवार संरक्षण की कलाई खोल दी, खरसिया नाका में मोमिनपुरा के निवासी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया की खूंखार अपराधी को खरसिया नाका में पुलिस की जीप से जबरदस्ती उतार कर भाग देने वाले के ऊपर कार्यवाही से क्यों कतरा रही है अंबिकापुर पुलिस? क्या अंबिकापुर को भी वासेपुर बनाने की चल रही है गुपचुप योजना...अंबिकापुर पुलिस खतरनाक कथित बैतूल नामक राजहंस का बस संचालक पर है क्यों मेहरबान, नहीं किया अभी तक इन पर कोई एफआईआर ना किसी कि गई अभी तक गिरफ्तारी, घटना दिवस के दूसरे रात खरसिया नाका में मोमिनपुरा के उसके समर्थक गैंगस्टर के पुत्रों के द्वारा जश्न मनाया गया...पड़ाका फोड़कर मिठाइयां बांट बिरयानी खाकर कर मनाया गया जश्न।

अंबिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

झारखंड के धनबाद जिले के बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद वर्षों से फरार चल रहे दोषी की तलाश आखिरकार सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर तक पहुंच गई, झारखंड पुलिस को सूचना मिली कि दोषी लंबे समय से अंबिकापुर में रह रहा है,सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरी गोपनीयता के साथ कार्रवाई की,लेकिन घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि आरोपी पुलिस की पकड़ से निकल गया, इसके बाद शुरू हुआ सवालों का ऐसा सिलसिला, जिसका जवाब अब केवल पुलिस जांच ही दे सकती है,यह मामला अब केवल एक फरार अपराधी का नहीं रह गया है, यह अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय,स्थानीय सूचना तंत्र,फरार अपराधियों के संभावित नेटवर्क और कानून-व्यवस्था की प्रभावशीलता की भी परीक्षा बन चुका है। बता दे की झारखंड के वासेपुर में खूंखार गैंगस्टर साबिर जो आजीवन कारावास प्राप्त दोषी है अंबिकापुर में इतने वर्षों तक छुपे रहने को लेकर सरगुजा पुलिस पर लग रहे हैं सवालिया निशान? लोगों में इस बात को लेकर के फूट रहा है बड़ा गुस्सा कि कोई भी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति अंबिकापुर शहर में यदि आकर के निवास करता है तो पुलिस ने क्यों नहीं किया जांच-पड़ताल? क्या पुलिस का सूचना तंत्र है कमजोर? गरीब मजदूर किस्म के लोगों को तो आए दिन मुसाफिराना दर्ज करने के नाम पर किया जाता है परेशान? घटना के बाद स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज हुई है कि क्या परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, पुलिस सूत्रों के अनुसार यदि जांच के दौरान ऐसे किसी पहलू के संकेत मिलते हैं तो संबंधित एजेंसियां आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगी, इसी बीच लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि न्यायालय से दोषसिद्ध एक फरार आरोपी लंबे समय तक अंबिकापुर में रह रहा था?

न्यायालय ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा-उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों के अनुसार आरोपी साबिर आलम धनबाद के वर्ष 2001 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध है, इस प्रकरण में न्यायालय ने वर्ष 2007 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,इसके बाद से वह लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा,झारखंड पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी,पुलिस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में विश्वसनीय सूचना मिलने पर अंबिकापुर में दबिश दी गई, उपलब्ध न्यायालयीन रिकॉर्ड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार धनबाद के चर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने कई आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, इसके बाद कुछ दोषियों ने न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया, जबकि कुछ फरार हो गए,झारखंड पुलिस वर्षों से फरार दोषियों की तलाश में थी, हाल के दिनों में पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि इनमें से एक दोषसिद्ध आरोपी अंबिकापुर क्षेत्र में रह रहा है, इसी सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई।

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता,पुलिस से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग- खरसिया नाका क्षेत्र के मोमिनपुरा के एक निवासी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि घटना के बाद क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है, उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाई या फरार आरोपी की सहायता की है,तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए,स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की कि पुलिस क्षेत्र में सघन सत्यापन अभियान चलाए, बाहरी व्यक्तियों के निवास और गतिविधियों की जांच करे तथा यदि किसी प्रकार की धमकी या अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है।

परिवहन नेटवर्क, आपराधिक गतिविधियों की आशंकाएं और पुलिस के सामने कई सवाल- यात्री बसो का संचालन में पिछले महीने बस संचालक की बस से गांजा तस्करी हो रही थी,जिस पर सूरजपुर पुलिस ने कार्यवही भी जो अभी भी थाने जप्त है,सूत्र बताते है की इनकी बसों में अन्य मादक पदार्थों के अलावा जंगली जानवरों की कीमती खाल भी दुसरे राज्य में भेजा जाता है।

गोपनीय ऑपरेशन और अचानक बदला घटनाक्रम

झारखंड पुलिस का कहना है कि इतने गंभीर मामले में कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखना आवश्यक था,पुलिस का तर्क है कि यदि पहले से सूचना व्यापक स्तर पर साझा की जाती तो आरोपी को भनक लग सकती थी और वह फरार हो सकता था,सूत्रों के अनुसार पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन घटनास्थल पर उत्पन्न परिस्थितियों के बीच वह पुलिस की पकड़ से निकल गया, झारखंड पुलिस के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया और तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

दो राज्यों की पुलिस का अलग-अलग पक्ष

यहीं से विवाद की दूसरी परत शुरू होती है, सरगुजा पुलिस का पक्ष सामने आया कि झारखंड पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी,दूसरी ओर झारखंड पुलिस का कहना है कि गोपनीयता ऑपरेशन की आवश्यकता थी और आरोपी के फरार होने के बाद तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित कर संयुक्त अभियान चलाया गया,दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं,लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा प्रश्न वही है यदि स्थानीय पुलिस पहले से साथ होती तो क्या आरोपी भाग पाता? और दूसरा प्रश्न यदि पहले सूचना दी जाती तो क्या आरोपी पहले ही फरार हो जाता? इन दोनों सवालों का उत्तर केवल जांच के बाद ही सामने आएगा।

सबसे बड़ा सवाल—आखिर वर्षों तक अंबिकापुर में कैसे रहा?-

पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है,यदि वास्तव में न्यायालय से दोषसिद्ध और वर्षों से फरार आरोपी अंबिकापुर में रह रहा था, तो क्या उसने पहचान बदल ली थी? क्या वह फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था? क्या उसका स्थानीय स्तर पर कोई सहयोगी था? क्या किसी ने उसे शरण दी? क्या उसकी गतिविधियों की किसी एजेंसी को जानकारी नहीं थी? यही वे प्रश्न हैं जिन पर अब पुलिस की जांच केंद्रित बताई जा रही है।

क्या स्थानीय सूचना तंत्र कमजोर पड़ा?-

इस घटना ने स्थानीय खुफिया व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी दूसरे राज्य का दोषसिद्ध फरार अपराधी यदि लंबे समय तक किसी शहर में रह सके तो यह स्थानीय सूचना तंत्र की भी समीक्षा का विषय बन जाता है, यद्यपि अभी तक पुलिस ने यह स्वीकार नहीं किया है कि आरोपी कितने समय से अंबिकापुर में था, लेकिन यदि जांच में यह तथ्य सामने आता है, तो यह पूरे सिस्टम के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा।

पुलिस कार्रवाई में बाधा—अब जांच का अहम बिंदु-

घटना के दौरान पुलिस कार्रवाई में कथित बाधा पहुंचने की भी जांच की जा रही है, पुलिस उपलब्ध वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है, यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर पुलिस के वैध कार्य में बाधा पहुंचाई अथवा आरोपी को फरार होने में सहायता की, तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई हो सकती है, फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है।

अंतरराज्यीय अपराध और स्थानीय कानून-व्यवस्था-

यह मामला एक बड़े प्रश्न की ओर भी संकेत करता है, देश में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जहां गंभीर अपराधों में वांछित आरोपी दूसरे राज्यों में जाकर नई पहचान के साथ रहने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अंतरराज्यीय समन्वय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, यदि समय रहते सूचना का आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई प्रभावी हो, तो ऐसे मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

क्या अब जांच स्थानीय संपर्कों तक पहुंचेगी?

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच केवल फरार आरोपी की तलाश तक सीमित नहीं है,यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था,कहां-कहां आता-जाता था,उसकी आर्थिक गतिविधियां क्या थीं,और क्या उसे किसी प्रकार का स्थानीय सहयोग प्राप्त था,हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया है।

कानून क्या कहता है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि कोई आरोपी न्यायालय से दोषसिद्ध और फरार है, उसे शरण देता है,उसकी गिरफ्तारी में बाधा पहुंचाता है या फरारी में सहायता करता है, तो उसके विरुद्ध भी अलग से आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है,लेकिन ऐसी कार्रवाई केवल जांच में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही संभव है।

अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरगुजा पुलिस की...

झारखंड पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर लौट चुकी है, अब लोगों की निगाहें सरगुजा पुलिस पर हैं, क्या स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर फरार आरोपी की तलाश तेज करेगी? क्या झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त अभियान फिर चलेगा? क्या पुलिस कार्रवाई में कथित बाधा पहुंचाने वाले लोगों की पहचान होगी? क्या जांच स्थानीय संपर्कों तक पहुंचेगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने वाले दिनों में पुलिस जांच से ही सामने आएंगे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं जय प्रकाश आ0 जगमोहन त्रिपाठी उम्र 37 वर्ष निवासी हाउस नम्बर 120 आमापारा लटोरी सूरजपुर. जिला सूरजपुर छ0ग0 का हूँ। यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम जय प्रकाश अंकित है,जबकि मेरी कक्षा 10वीं और 12 वीं की अंकसूची में मेरा नाम जय प्रकाश त्रिपाठी अंकित है ।
मेरा सही एवं वास्तविक नाम जय प्रकाश है तथा भविष्य में मैं सभी सरकारी शैक्षणिक एवं अन्य अधिकारिक अभिलेखों में जय प्रकाश नाम ही जाना पहचाना एवं अभिलेखित किया जाता है। व संबधित सभी विभागों एवं प्राधिकरणों से अनुरोध है कि मेरे सभी वर्तमान एवं भविष्य के अभिलेखो में मेरा नाम जय प्रकाश ही दर्ज किया जाए।

शपथग्रहिता
जय प्रकाश

नाम परिवर्तन सूचना

मै बाजीलाल बखला आ. श्याम साय निवासी गांव मानपुर, तह. प्रतापपुर जिला सूरजपुर, (छ0ग0) का निवासी हूँ। यह कि, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम परमिला नाम दर्ज है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। यह कि, मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम कृति बखला KRITI BAXLA दर्ज है जो सत्य एवं सही हैं।अतः आज से सभी शासकीय,अशासकीय व सभी जगह मेरे पुत्री को कृति बखला के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।
यह कि, दोनो नामो में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूं जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता हूं।

शपथग्रहिता
बाजीलाल बखला

नाम परिवर्तन सूचना

मै बाजीलाल बखला आ. श्याम साय निवासी गांव मानपुर, तह. प्रतापपुर जिला सूरजपुर, (छ0ग0) का निवासी हूँ। यह कि, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम प्रमोद नाम दर्ज है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया
मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम फ्रांसीस बखला FRANSIS BAXLA दर्ज है जो सत्य एवं सही है। अतः आज से सभी शासकीय,अशासकीय व सभी जगह मेरे पुत्र को फ्रांसीस बखला के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।
यह कि, दोनो नामो में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूं जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता हूं।

शपथग्रहिता
बाजीलाल बखला

नाम परिवर्तन सूचना

मै राजू साहू आ0 स्व0 रामप्रित साहू, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी- भारतपूरा, जिला पटना, (बिहार) वर्तमान पता- सरगवां अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 का निवासी हूँ।
यह कि, मेरे पुत्री के नाम से जारी आधार कार्ड में उसका नाम आजल कुमारी (Ajal Kumari) नाम दर्ज है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्री का वास्तविक नाम जन्म प्रमाण पत्र में नाम आँचल कुमारी (Anchal kumari) दर्ज है, जो सत्य एवं सही है।
यह कि, दोनों नामें में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ, जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता हूँ।

शपथग्रहिता
राजू साहू

Name Modification Notice

I am Jay Prakash son of Jagmohan Tripathi, HOUSE NO 120 Amapara, latori surajpur Distict Surajpur I am informing that my name in Aadhar card is Jay Prakash. Whreas in 10 th & 12 th mark sheet it is Jay Prakash Tripathi. Hence, my name is Jay Prakash. And I am to be known and recognized by name. It should be recorded by this name in all government documents.

Applicant
Jay Prakash
son of Jagmohan Tripathi,
HOUSE NO 120 Amapara,
latori surajpur Distict Surajpur

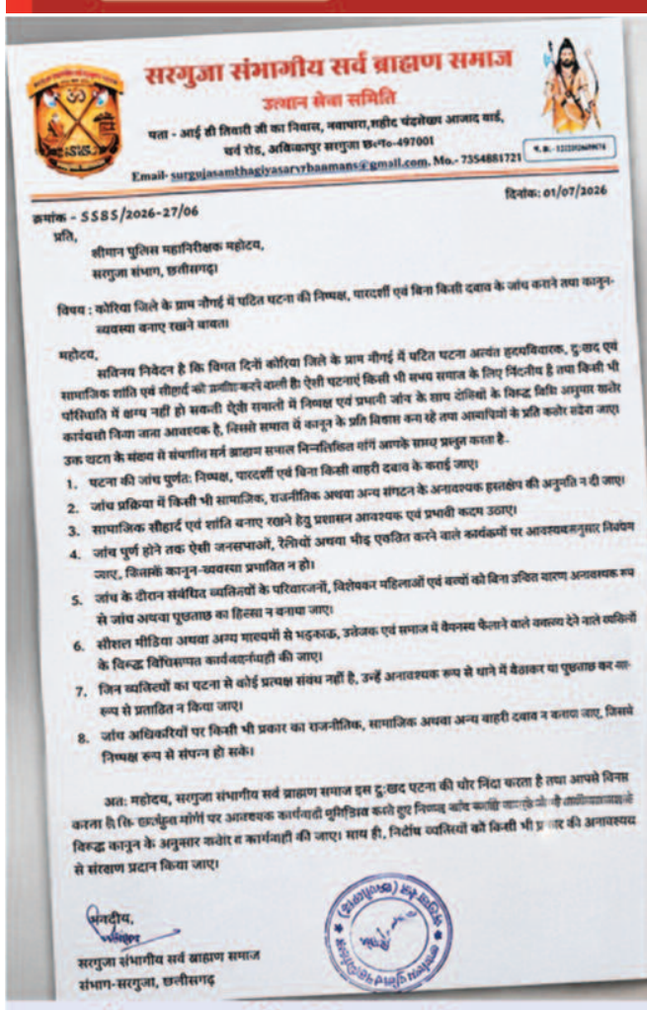

सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज
उत्थान सेवा समिति
पता - आई डी तिवारी जी का निवास, नवापारा, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड, सर्व रोड, अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.-497001
Email- surgujasambhagiyasarvbaamans@gmail.com, Mo.- 7354881721
क्रमांक - 5585/2026-27/06
दिनांक: 01/07/2026
प्रति,
श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
विषय : कोरिया जिले के ग्राम नौगई में घटित घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बिना किसी दबाव के जांच कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने बावत।
महोदय,
[illegible]
1. घटना की जांच पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बिना किसी बाहरी दबाव के कराई जाए।
2. जांच प्रक्रिया में किसी भी सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य संगठन के अनावश्यक हस्तक्षेप की अनुमति न दी जाए।
3. सामाजिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने हेतु प्रशासन आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए।
4. जांच पूर्ण होने तक ऐसी जनसभाओं, रैलियों अथवा भीड़ एकत्रित करने वाले कार्यक्रमों पर आवश्यकतानुसार नियंत्रण रखा जाए, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
5. जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों के परिवारजनों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को बिना उचित कारण अनावश्यक रूप से जांच अथवा पूछताछ का हिस्सा न बनाया जाए।
6. सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भड़काऊ, उत्तेजक एवं समाज में वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाए।
7. जिन व्यक्तियों का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से थाने में बैठाकर या पूछताछ कर मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।
8. जांच अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य बाहरी दबाव न बनाया जाए, जिससे निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
अतः महोदय, सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज इस दुःखद घटना की घोर निंदा करता है तथा आपसे विनम्र [illegible] निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक से संरक्षण प्रदान किया जाए।
भवदीय,
सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज
संभाग-सरगुजा, छत्तीसगढ़

नौगई तिहरे हत्याकांड: ब्राह्मण समाज के ज्ञापन पर व्हाट्सएप में वायरल विश्लेषण से छिड़ी नई बहस

एडवोकेट किरण सिंह के नाम से संदेश वायरल, भाषा, प्राथमिकताओं और मंशा पर उठाए गए गंभीर सवाल

ज्ञापन में प्रमुख मांगें
- निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना दबाव के जांच
- सामाजिक व राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक
- सामाजिक सौहार्द व शांति बनाए रखने की अपील
- परिवारजनों, महिलाओं और बच्चों को अनावश्यक पूछताछ से बचाने की मांग
- सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पर कार्रवाई
- निर्दोष व्यक्तियों को प्रताडित न करने की बात
- जांच अधिकारियों पर बाहरी दबाव न बनाने की मांग

व्हाट्सएप पर वायरल विश्लेषण में उठाए सवाल
- घटना को 'हृदयविदारक' कहने का आरोप
- 'बाहरी दबाव' शब्द का इस्तेमाल पीड़ित पक्ष की आवाजों को दबाने के लिए?
- पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की मांग का अभाव
- सोशल मीडिया पर नियंत्रण की मांग को बताया गया सेंसरशिप की कोशिश

विशेषज्ञों की राय
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा कोई भी ज्ञापन संतुलित होना चाहिए, जिसमें पीड़ितों के न्याय, गवाह संरक्षण और दोषियों को कठोर दंड दिलाने की मांग भी समान रूप से शामिल हो।

नौगई तिहरे हत्याकांड : निष्पक्ष जांच की मांग या आरोपियों के अधिकारों पर अधिक जोर?

नौगई हत्याकांड : ब्राह्मण समाज के ज्ञापन ने खड़े किए नए सवाल,निष्पक्ष जांच पर जोर लेकिन पीड़ित पक्ष की सुरक्षा पर मौन?

-राजन पांडेय-

कोरिया,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड में अब जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भी सामाजिक और कानूनी स्तर पर बहस थमती नजर नहीं आ रही है,इस बीच सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है,ज्ञापन में निष्पक्ष जांच, कानून के अनुरूप कार्रवाई तथा आरोपियों के निर्दोष परिजनों को अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है,हालांकि,ज्ञापन के बिंदुओं का अध्ययन करने पर यह प्रश्न भी सामने आ रहा है कि क्या इसमें पीड़ित पक्ष की सुरक्षा,न्याय और गवाहों के संरक्षण को समान महत्व दिया गया है? यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी सामाजिक संगठन को अपनी बात रखने और निष्पक्ष जांच की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है, इसी प्रकार किसी ज्ञापन में किसी विषय का उल्लेख न होने मात्र से किसी संगठन की मंशा पर निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा, लेकिन जब मामला तीन लोगों की जघन्य हत्या और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने जैसा हो,तब ज्ञापन के प्राथमिक फोकस पर सार्वजनिक चर्चा स्वाभाविक हो जाती है।

निष्पक्ष जांच की मांग पूरी तरह न्यायसंगत

ज्ञापन का सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि पूरे मामले की जांच किसी भी राजनीतिक,सामाजिक या बाहरी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष ढंग से की जाए,यह मांग भारतीय न्याय व्यवस्था की मूल भावना के अनुरूप है,किसी भी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी का निष्पक्ष रहना न्याय का पहला आधार होता है,यदि जांच प्रभावित होगी तो न पीड़ित को न्याय मिलेगा और न ही निर्दोष को राहत,इसलिए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कोई विवाद नहीं माना जा सकता।

आरोपियों के निर्दोष परिजनों की सुरक्षा का मुद्दा

ज्ञापन में बार-बार यह कहा गया है कि आरोपियों के परिवार के निर्दोष सदस्यों या अन्य निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए,भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली भी यही कहती है कि अपराध का उत्तरदायित्व केवल आरोपी का होता है,उसके परिवार का नहीं,यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तो केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, इस दृष्टि से यह मांग भी कानून के अनुरूप मानी जा सकती है।

लेकिन पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर क्यों नहीं दिखा समान जोर?-यहीं से बहस का दूसरा पक्ष सामने आता है, ज्ञापन में कहीं भी स्पष्ट रूप से उन परिवारों की सुरक्षा की मांग नहीं दिखाई देती जिनके तीन सदस्यों की इस घटना में मृत्यु हुई और दो सदस्य आज भी गंभीर रूप से घायल होकर जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, इतने संवेदनशील और चर्चित मामले में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी सामाजिक संगठन द्वारा पीड़ित परिवार की सुरक्षा, उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें संरक्षण देने की मांग भी उठाई जाए,विश्लेषकों का मानना है कि यदि ज्ञापन में यह मांग भी शामिल होती तो दस्तावेज और अधिक संतुलित दिखाई देता।

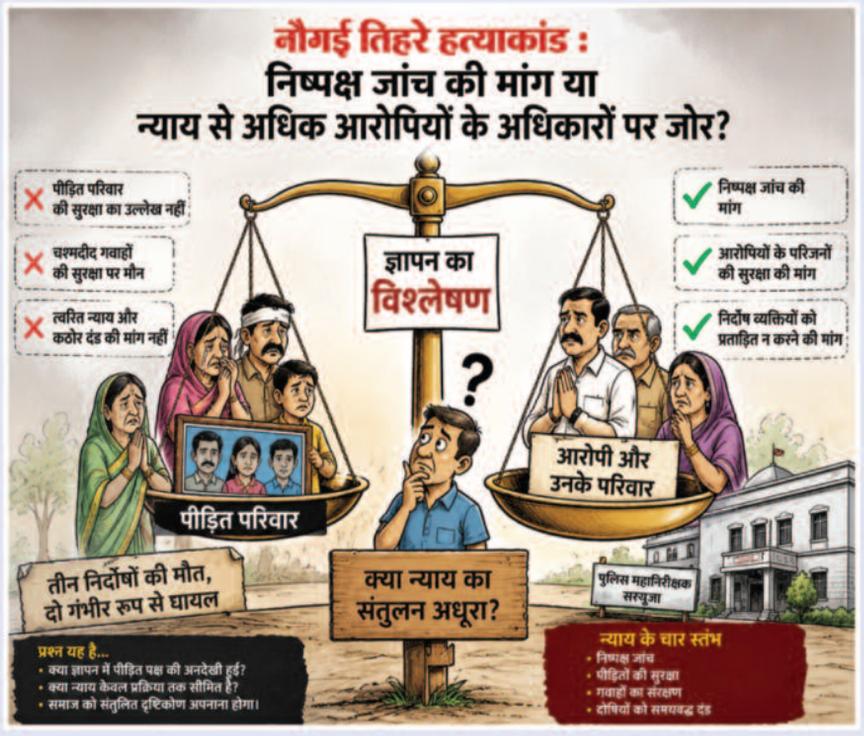

गवाह संरक्षण पर भी मौन-नौगई हत्याकांड में कई प्रत्यक्षदर्शी और महत्वपूर्ण गवाह हैं,न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है,देश में गंभीर आपराधिक मामलों में गवाह संरक्षण योजना को न्यायिक प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा माना गया है ताकि गवाह बिना किसी भय या दबाव के न्यायालय के सामने सत्य रख सकें,लेकिन उपलब्ध ज्ञापन में गवाहों की सुरक्षा की मांग प्रमुख रूप से दिखाई नहीं देती,यह भी एक ऐसा पहलू है जिस पर चर्चा हो रही है।

त्वरित न्याय और कठोर दंड का स्पष्ट उल्लेख नहीं-पीड़ित परिवार शुरुआत से सीबीआई जांच,फास्ट ट्रैक कोर्ट,शीघ्र आरोप-पत्र,दोषियों को कठोर दंड और गवाहों की सुरक्षा जैसी मांगें उठाता रहा है,इसके विपरीत ब्राह्मण समाज के ज्ञापन में प्रक्रिया की निष्पक्षता पर तो विस्तार से जोर दिया गया है,लेकिन दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने,फास्ट ट्रैक सुनवाई या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने जैसी मांगें उसी प्रमुखता से दिखाई नहीं देतीं,यही कारण है कि ज्ञापन को लेकर समाज के एक वर्ग में चर्चा है कि इसका फोकस मुख्यतः जांच प्रक्रिया और आरोपियों के अधिकारों पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है।

न्याय केवल आरोपियों के अधिकार तक सीमित नहीं-कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय का अर्थ केवल यह नहीं कि निर्दोष व्यक्ति परेशान न हों, बल्कि यह भी है कि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिले,न्याय व्यवस्था के चार महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं निष्पक्ष जांच,पीड़ितों की सुरक्षा, गवाहों का संरक्षण,दोषियों को समयबद्ध और कानूनसम्मत दंड, यदि इनमें से किसी एक पक्ष पर ही अधिक जोर दिया जाए और दूसरे पक्ष अपेक्षाकृत कम दिखाई दें तो संतुलन का प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

सीबीआई जांच के बाद बदलेगी स्थिति?

अब जबकि राज्य शासन ने नौगई हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है, पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है, अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी न केवल अपराध से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी,बल्कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष पड़ताल भी करेगी,हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जांच का दायरा किन-किन पहलुओं तक जाएगा। यह सीबीआई की विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

समाज की अपेक्षा- न्याय दोनों पक्षों के अधिकारों के साथ हो...

नौगई तिहरे हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहा,बल्कि अब यह सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक विमर्श का विषय बन चुका है,ऐसे मामलों में किसी भी सामाजिक संगठन से यह अपेक्षा रहती है कि वह न केवल निष्पक्ष जांच की मांग करे बल्कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा, गवाहों के संरक्षण,शीघ्र न्याय और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड की मांग भी समान रूप से उठाए,यदि ज्ञापन में ये सभी पहलू समान रूप से शामिल होते तो संभवतः यह अधिक संतुलित और व्यापक न्याय की भावना को प्रतिबिंबित करने वाला दस्तावेज माना जाता।

निष्कर्ष : ज्ञापन का मुख्य फोकस निष्पक्ष जांच,कानूनसम्मत कार्रवाई और आरोपियों के निर्दोष परिजनों को एअनावश्यक प्रताड़ना से बचाने पर केंद्रित

उपलब्ध ज्ञापन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उसका मुख्य फोकस निष्पक्ष जांच, कानूनसम्मत कार्रवाई और आरोपियों के निर्दोष परिजनों को अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने पर केंद्रित है, वहीं, पीड़ित परिवार की सुरक्षा, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के संरक्षण,फास्ट ट्रैक सुनवाई और दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने जैसे बिंदु उसी स्पष्टता से सामने नहीं आते, हालांकि, केवल इस आधार पर किसी संगठन की मंशा पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा,किसी ज्ञापन में किसी विषय का उल्लेख न होना यह सिद्ध नहीं करता कि संगठन उस विषय के विरोध में है, फिर भी, इतनी गंभीर और संवेदनशील घटना में समाज के सभी वर्गों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय– दोनों को समान महत्व देते हुए अपनी बात रखें,ताकि न्याय व्यवस्था पर समाज का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

नौगई हत्याकांडः क्या ज्ञापन का फोकस न्याय से अधिक आरोपियों के अधिकारों पर?

निष्पक्ष जांच की मांग के बीच पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा क्यों छूटा?

ब्राह्मण समाज के ज्ञापन पर उठे सवाल,न्याय की मांग से ज्यादा जांच प्रक्रिया पर रहा जोर?

ज्ञापन में आरोपियों के परिजनों की चिंता,लेकिन मृतक के पीड़ित परिवार की सुरक्षा का उल्लेख नहीं

नौगई तिहरे हत्याकांडः ब्राह्मण समाज के ज्ञापन ने छेड़ी नई बहस,न्याय,जांच और संतुलन पर उठे प्रश्न

व्हाट्सऐप ग्रुप में वायरल विश्लेषण ने छेड़ी नई बहस,ब्राह्मण समाज के ज्ञापन की भाषा और मंशा पर उठे सवाल

नौगई तिहरे हत्याकांड को लेकर सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन पर अब सोशल मीडिया में भी तीखी बहस शुरू हो गई है,करणी सेना बैकुंठपुर-कोरिया के व्हाट्सएप समूह में अधिवक्ता किरण सिंह के नाम से एक लंबा विश्लेषणात्मक संदेश साझा किया गया,जिसमें ज्ञापन की भाषा,उसके विभिन्न बिंदुओं और संभावित प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं,वायरल संदेश में दावा किया गया है कि ज्ञापन में प्रयुक्त शब्दावली और मांगों का मुख्य फोकस पीड़ित परिवार की अपेक्षा जांच प्रक्रिया तथा आरोपियों के अधिकारों पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है,संदेश में इसे 'निष्पक्षता की आड़ में रणनीतिक दुर्भावना' और 'मनोवैज्ञानिक हेरफेर' जैसे शब्दों के माध्यम से विश्लेषित किया गया है, संदेश में यह भी कहा गया है कि ज्ञापन में निष्पक्ष जांच की मांग उचित हो सकती है, लेकिन उसमें तीन मृतकों के परिजनों की सुरक्षा, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के संरक्षण,त्वरित न्याय, शीघ्र आरोप-पत्र और दोषियों को कठोर दंड जैसी मांगों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है,इस आधार पर लेखक ने प्रश्न उठाया है कि क्या ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना था या जांच की दिशा और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अधिक जोर देना, विश्लेषण में ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु की अलग-अलग व्याख्या करते हुए यह तर्क भी रखा गया है कि कुछ मांगों को लेखक ने जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला बताया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी जघन्य अपराध में निष्पक्ष जांच जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक पीड़ित परिवार की सुरक्षा,गवाह संरक्षण और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना भी है, हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्हाट्सऐप पर प्रसारित यह सामग्री एक व्यक्तिगत विश्लेषण और राय है, इसमें व्यक्त विचार संबंधित लेखक के हैं और इन्हें किसी न्यायालय,जांच एजेंसी अथवा सरकारी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए,दूसरी ओर, केवल किसी ज्ञापन में किसी विषय का उल्लेख न होने से किसी संगठन की मंशा के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं माना जा सकता,फिलहाल इस वायरल संदेश के बाद नौगई तिहरे हत्याकांड को लेकर सामाजिक संगठनों के बीच नई बहस शुरू हो गई है। एक पक्ष इसे ज्ञापन का तार्किक विश्लेषण बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत व्याख्या मान रहा है, ऐसे में यह मुद्दा अब केवल कानूनी जांच तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक विमर्श का विषय भी बनता दिखाई दे रहा है।

आंधी-तूफान आया तो शिक्षकों का वेतन कटना तय?

वीएसके ऐप की तकनीकी खामियों और नेटवर्क समस्या से बढ़ी शिक्षकों की चिंता, संघ ने वैकल्पिक व्यवस्था की उठाई मांग

-संवाददाता-

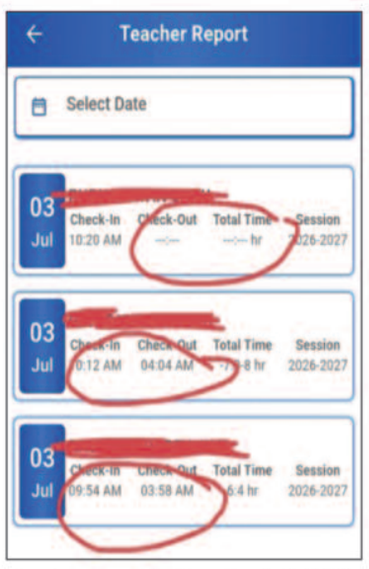

सूरजपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई माह से वीएसके ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किए जाने और उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में वेतन कटौती के निर्देश के बाद शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है,विशेषकर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक सर्वर, नेटवर्क और बिजली की समस्या के बीच स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं,उनका कहना है कि बरसात के मौसम में यदि आंधी-तूफान, बिजली बाधित होने या मोबाइल नेटवर्क ठप होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विद्यालय में उपस्थित रहने के बावजूद उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी, जिसका सीधा असर उनके वेतन पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने बताया कि विकासखंड रामानुजनगर के शिक्षकों से लगातार तकनीकी समस्याओं संबंधी

शिकायतें प्राप्त हो रही हैं,उनके अनुसार कई विद्यालयों में शिक्षक समय पर पहुंचने के बावजूद वीएसके ऐप सही लोकेशन नहीं दिखाता, कई बार ऐप विद्यालय से 2 से 5 किलोमीटर दूर की लोकेशन प्रदर्शित करता है, जिससे चेक-इन और चेक-आउट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा सर्वर स्लो होने, पंजीयन में त्रुटि आने, ओटीपी संबंधी

परेशानी तथा कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ऐप के पूरी तरह काम नहीं करने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, शिक्षकों का कहना है कि बरसात के दौरान पेड़ गिरने,बिजली आपूर्ति बाधित होने और मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाने की घटनाएं सामान्य हैं, ऐसे में यदि तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है और उसका खामियाजा वेतन कटौती के रूप में भुगतना पड़े तो यह पूरी तरह अनुचित होगा। उनका कहना है कि तकनीकी व्यवस्था की कमियों का दंड कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए, संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था के कारण शिक्षक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाय उनका समय मोबाइल नेटवर्क खोजने, ऐप चलाने और उपस्थिति दर्ज कराने में व्यतीत हो रहा है। इससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, इन्हीं समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम साहू के नेतृत्व में शिक्षकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में मांग की गई कि वीएसके ऐप की सभी तकनीकी खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए तथा नेटवर्क विफल होने,सर्वर डाउन रहने, बिजली बाधित होने या अन्य तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए, संघ ने यह भी मांग की कि जब तक प्रदेशभर में तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह सुचारु और विश्वसनीय नहीं हो जाती, तब तक केवल ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने के आधार पर वेतन कटौती जैसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसके लिए मजबूत तकनीकी आधारभूत संरचना और व्यावहारिक व्यवस्था भी आवश्यक है, ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम साहू, उपाध्यक्ष देवमती सिंह, प्रवक्ता सतीश कुमार साहू, प्रमोद कुमार साहू, वरिष्ठ प्रधान पाठक शिवलाल सिंह, सुशील गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

नौगई तिहरे हत्याकांड के 19 दिन बाद भी मानवाधिकार संगठन मौन?

मानवाधिकार संगठनों की संवेदना,दायित्व और निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवाल

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड को 19 दिन बीत चुके हैं,इस जघन्य घटना में तीन लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अनेक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए,घटना के बाद पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक गतिविधियां और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती रहीं,लेकिन मानवाधिकार संगठनों की भूमिका को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं,स्थानीय लोगों और सामाजिक वर्गों के बीच चर्चा है कि इतनी बड़ी और संवेदनशील घटना के बावजूद पीड़ित परिवारों के पक्ष में मानवाधिकार संगठनों की ओर से अब तक कोई प्रमुख सार्वजनिक पहल, तथ्य-जांच, प्रतिनिधिमंडल का दौरा अथवा न्याय और सुरक्षा की स्पष्ट मांग सामने क्यों नहीं आई? आखिर मानवाधिकार संगठनों की संवेदना इस पूरे मामले में कहां दिखाई दी? बता दे की यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, मानवाधिकारों के सामान्य सिद्धांतों और संवैधानिक दायित्वों पर आधारित विश्लेषण है, इसका उद्देश्य किसी विशेष मानवाधिकार संगठन पर तथ्यात्मक आरोप लगाना नहीं, बल्कि यह प्रश्न उठाना है कि किसी जघन्य तिहरे हत्याकांड में मानवाधिकारों की अवधारणा पीड़ितों,घायलों, गवाहों और आरोपियों–सभी के अधिकारों के संतुलन के साथ लागू होनी चाहिए,यदि किसी मानवाधिकार संगठन ने इस मामले में कोई आधिकारिक पहल की है,तो उसे भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि समाज तथ्यों के आधार पर अपनी राय बना सके।

क्या मानवाधिकार संगठनों तक यह घटना पहुंची ही नहीं?

लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मानवाधिकार संगठनों को इस घटना की जानकारी नहीं मिली? क्या प्रदेश और जिले के मानवाधिकार संगठनों तक यह मामला पहुंचा ही नहीं? या फिर यह घटना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हो सकी? यदि जानकारी थी तो फिर मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के पक्ष में सार्वजनिक रूप से कोई पहल क्यों दिखाई नहीं दी? यदि जानकारी नहीं थी, तो यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है कि प्रदेश की इतनी बड़ी घटना मानवाधिकार संगठनों के संज्ञान में क्यों नहीं आई?

मानवाधिकार केवल आरोपियों तक सीमित नहीं होते...

मानवाधिकार की मूल अवधारणा किसी एक पक्ष के समर्थन तक सीमित नहीं है,संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति–चाहे वह पीड़ित हो,घायल हो,प्रत्यक्षदर्शी हो या आरोपी–सभी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना मानवाधिकारों की मूल भावना है,कोरिया जिले के नौगई तिहरे हत्याकांड जैसे गंभीर मामले में,यदि तीन लोगों की मृत्यु हुई है और अन्य लोग घायल हुए हैं, तो मानवाधिकार संगठनों की भूमिका सिद्धांततः किसी एक पक्ष के समर्थन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही सभी प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की होती है।

पीड़ित परिवारों के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण–मानवाधिकार की चर्चा अक्सर आरोपियों के अधिकारों तक सीमित दिखाई देती है,जबकि किसी भी जघन्य अपराध में सबसे पहले पीड़ित परिवार न्याय, सुरक्षा और पुनर्वास की उम्मीद करता है, यदि किसी मानवाधिकार संगठन ने केवल आरोपियों अथवा उनके परिजनों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग की हो,लेकिन मृतकों के परिजनों, घायलों,प्रत्यक्षदर्शियों अथवा पीड़ित परिवारों की सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास की मांग सार्वजनिक रूप से न की हो, तो उसकी निष्पक्षता पर सार्वजनिक प्रश्न उठना स्वाभाविक माना जा सकता है,हालांकि,किसी संगठन की जवाबदेही पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले उसके सभी आधिकारिक बयान, ज्ञापन,प्रेस विज्ञप्तियां और वास्तविक कार्यों का समग्र मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है, केवल एक दस्तावेज या एक बयान के आधार पर किसी संस्था की मंशा तय करना उचित नहीं होगा।

19 दिन बाद भी उठ रहे हैं ये सवाल

- क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की?
- क्या किसी प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल का दौरा किया?
- क्या मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई?
- क्या घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों की सुरक्षा के लिए कोई ज्ञापन सौंपा गया?
- क्या निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वतंत्र जांच की मांग की गई?
- क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने तीनों मृतकों के परिवारों के प्रति सार्वजनिक संवेदना व्यक्त की? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आनी चाहिए, यदि नहीं, तो समाज का प्रश्न भी स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी गंभीर घटना में मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता कहां रही?

विश्वसनीयता का पैमाना है संतुलन-

मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी मानवाधिकार संगठन की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह पीड़ित और आरोपी–दोनों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखता है या नहीं। किसी एक पक्ष की आवाज़ बन जाना मानवाधिकार की व्यापक अवधारणा को कमजोर कर सकता है।

जनता की अपेक्षा

नौगई तिहरे हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता और संस्थाओं की जवाबदेही की भी परीक्षा है,जनता की अपेक्षा है कि मानवाधिकार संगठन पीड़ित परिवारों की पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से उठाएं,जितनी वे किसी भी आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठाते हैं, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल निष्पक्ष मुकदमा नहीं,बल्कि पीड़ितों को सम्मान, सुरक्षा और न्याय दिलाना भी है।

ऐसे मामलों में मानवाधिकार संगठनों से सामान्यतः क्या अपेक्षा की जाती है?-

कानूनी और मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी घटनाओं में सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार संगठन मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और उन्हें न्याय दिलाने की मांग करें, निष्पक्ष, त्वरित एवं प्रभावी जांच की मांग करें ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके, यदि जांच में लापरवाही या पक्षपात के आरोप हों, तो स्वतंत्र जांच की मांग करें, मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सरकारी सहायता दिलाने की पैरवी करें, यदि मृतकों के परिजन, घायल या प्रत्यक्षदर्शियों को धमकी मिल रही हो तो उनकी सुरक्षा की मांग करें, यदि घटना में किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध लक्षित हिंसा या सामूहिक हमले के आरोप हों, तो उसकी निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग करें, साथ ही, आरोपियों के भी संवैधानिक अधिकार–जैसे निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष सुनवाई और हिरासत में अत्याचार न होने–की रक्षा की बात करें, इसका अर्थ अपराध का समर्थन करना नहीं, बल्कि कानून के शासन को सुनिश्चित करना है।

एक साल पुरानी शिकायत बनी मौत का कारण,11 हजार वोल्ट के झूलते तार की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों का आरोप...लिखित शिकायत के बावजूद नहीं जागा बिजली विभाग, अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/एमसीबी,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंडरा में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक महिला की जान पर भारी पड़ गई। तालाब की मेड़ के पास लंबे समय से झूल रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से लगभग 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है, ग्रामीणों का आरोप है कि इस हादसे की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बिजली विभाग की लापरवाही पर तय होनी चाहिए, क्योंकि इस संबंध में करीब एक वर्ष पहले लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुसार,तालाब खुदाई के दौरान बिजली का पोल टेढ़ा हो गया था,इसके कारण 11 केवी की हाईटेंशन लाइन सामान्य ऊंचाई से काफी नीचे आ गई और कई महीनों से जमीन से महज चार फीट की ऊंचाई पर झूल रही थी,यह स्थिति लगातार दुर्घटना को आमंत्रित कर रही थी, पंचायत ने इस गंभीर खतरे को देखते हुए बिजली विभाग को लिखित शिकायत देकर पोल सीधा कराने और तार को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाने की मांग की थी। ग्रामीणों का दावा है कि शिकायत की पावती भी उनके पास मौजूद है,लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया,बताया जा रहा है कि हादसे के दिन महिला तालाब की मेड़ से होकर गुजर रही थी। झूल रहे हाईटेंशन तार पर उनका ध्यान नहीं गया और वह सीधे उसकी चपेट में आ गई, तेज करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए, ग्रामीणों का कहना है कि यदि बिजली विभाग समय रहते शिकायत पर कार्रवाई कर देता तो यह हादसा टाला जा सकता था। उनका आरोप है कि विभाग की उदासीनता और लापरवाही के कारण एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया। अब मृतका के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, घटना के बाद ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही मृतका के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई गांवों में बिजली के पोल टेढ़े हैं और हाईटेंशन लाइनें नीचे झूल रही हैं,जिससे भविष्य में भी ऐसे हादसों की आशंका बनी हुई है, उन्होंने प्रशासन से जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे सभी खतरनाक बिजली ढांचे की जांच कराने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है, जिसे समय रहते रोका जा सकता था,यदि शिकायतों पर समय पर कार्रवाई होती,तो आज एक महिला की जान बचाई जा सकती थी,अब इस पूरे मामले में प्रशासन और बिजली विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं,ग्रामीणों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विभाग इस मामले में जिम्मेदारी तय करेगा, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी,और क्या पीड़ित परिवार को न्याय एवं उचित मुआवजा मिल पाएगा।

हत्या के प्रयास के मामले में फरार पांच आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से उद्घोषणा जारी

10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश,अनुपस्थित रहने पर होगी आगे की वैधानिक कार्रवाई...

-संवाददाता-

सूरजपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। चौकी बसदेई क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सूरजपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया हसीना बीबी ने 14 अप्रैल 2026 को चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम जूर की निवासी हैं तथा उनका मोहम्मद अयुब के साथ भूमि विवाद चल रहा है,शिकायत में बताया गया कि घटना वाले दिन वह अपनी सास-ससुर एवं बहू के साथ खेत में मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपी पक्ष कथित रूप से लाठी-डंडों से लैस होकर वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए खेत से हट जाने तथा जान से मारने की धमकी दी, रिपोर्ट के अनुसार विवाद की सूचना मिलने पर जब प्रार्थिया के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने कथित रूप से उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया, जिसके आधार पर मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराएं जोड़ी गईं,प्रार्थिया की शिकायत पर चौकी बसदेई में अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 351(3), 115(2),191(1), 191(2) एवं 109 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी,न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो पाया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी फरार हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसी आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की है, उद्घोषणा जिन आरोपियों के विरुद्ध जारी की गई है,उनमें मोहम्मद अयुब अंसारी,अख्तर रजा,उमर रजा,असलम अंसारी तथा सफिरन निशा,सभी निवासी ग्राम जूर,चौकी बसदेई क्षेत्र शामिल हैं,चौकी बसदेई पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उद्घोषणा की प्रति आरोपियों के निवास स्थान के बाहर चस्पा कर दी है,साथ ही आरोपियों के परिजनों एवं गांव के लोगों की उपस्थिति में उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया, पुलिस ने बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

छात्र शक्ति को मिला नया नेतृत्व,नारी शक्ति को सशक्त प्रतिनिधित्व,अभाविप बैकुंठपुर की नई नगर कार्यकारिणी घोषित

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की नगर इकाई बैकुंठपुर की सत्र 2026-27 की नवीन नगर कार्यकारिणी की घोषणा जिला संयोजक बलवीर पुषाम द्वारा की गई,इस अवसर पर संगठन की आगामी कार्ययोजना,सदस्यता अभियान,विद्यार्थी हितों तथा संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई, नई कार्यकारिणी में छात्र शक्ति के साथ नारी शक्ति को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर संगठन ने समावेशी नेतृत्व का संदेश दिया।

घोषित कार्यकारिणी में आयुषी साहू को नगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया, वहीं आकांक्षा सिंह, विजय राजवाड़े,सिद्धार्थ साहू एवं लोकनाथ सिंह को नगर सहमंत्री नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरती सिंह को नगर एसएफएस प्रमुख,पवन चक्रधारी को एसएफडी प्रमुख, अर्चना विश्वकर्मा को आरकेएम प्रमुख, सतेन्द्र सिंह को एनएसएस प्रमुख, अनूप कुजूर को सोशल मीडिया प्रमुख, तामेश्वर को महाविद्यालय

प्रमुख,अमृता सिंह को विद्यालय प्रमुख,सुशील गुप्ता को कार्यालय मंत्री तथा ग्रेसी सिंह को तकनीकी शिक्षक प्रमुख का दायित्व दिया गया। नगर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रवि कुमार, काजल एवं अंजलि को शामिल किया गया, जिला संयोजक बलवीर पुषाम ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है,जो छात्रहित,समाजहित और राष्ट्रहित के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को गति देने, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संगठन को मजबूत करने तथा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, कार्यक्रम में विभाग संयोजक प्रदीप यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संगीता सिंह,जिला विद्यार्थी विस्तारक अशोक यादव सहित नगर एवं जिला इकाई के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे,कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी हितों की रक्षा,संगठन विस्तार और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में समर्पित भाव से सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया,वंदे मातरम् एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

एकता वृक्ष अभियान के तहत डीआईजी/एसएसपी ने पुलिस लाइन में किया वृक्षारोपण

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर फलदार पौधे रोपकर दिया एकता,अखंडता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

-संवाददाता-

सूरजपुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में संचालित 'एकता वृक्ष अभियान' के तहत शुक्रवार को पुलिस लाइन सूरजपुर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,कार्यक्रम में डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे तथा उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने फलदार पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण,देश की एकता और अखंडता के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया, उन्होंने कहा कि एकता वृक्ष अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ समाज को एकजुट करने का भी महत्वपूर्ण अभियान है, वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है,उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौतियां पूरी मानवता के सामने गंभीर संकट बनकर उभरी हैं,ऐसे समय में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करना

प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है,यदि आज पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा,डीआईजी/एसएसपी ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे,ताकि वह एक विकसित वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक होगा जब पौधों का संरक्षण भी पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, कार्यक्रम में एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा,रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे। सभी ने पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के प्रतिक है- कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता वृक्ष अभियान न केवल उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकजुटता का भी सशक्त संदेश है,पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा प्रकृति के संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की, अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से हरित वातावरण का निर्माण कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

ऐश्वर्या का हीरो,अमिताभ ने किया था... लॉन्च,कैसे एक कार हादसे ने तबाह किया शाह रुख को टक्कर देने वाले एक्टर का करियर

चंद्रचूड़ सिंह,जो माचिस और तेरे मेरे सपने से रातों-रात स्टार बने, शाही परिवार से थे और उन्होंने यूपीएससी का सपना देखा था।कई लोगों को किस्मत एक मनगढ़ंत बात लग सकती है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी देखकर हैरानी होती है कि क्या सच में किस्मत जैसी कोई चीज होती है? आज आपको एक ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर के बारे में बताएंगे जो शाही परिवार में पैदा हुआ।

यूपीएससी पास करके इंडियन फॉरेन सर्विस में अफसर बनने का सपना देखा लेकिन आखिर में 90 के दशक के आखिर में बॉलीवुड के सबसे होनहार स्टार्स में से एक बन गया। हम बात कर रहे हैं माचिस फेम एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की।

अमिताभ बच्चन से होती थी तुलना

1996 में तेरे मेरे सपने और माचिस जैसी फिल्मों के साथ चंद्रचूड़ रातों-रात स्टार बन गए। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की और दर्शकों ने भी उन्हें पसंद किया। मीडिया ने तो उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से भी करनी शुरू कर दी। कुछ हद तक इसलिए भी क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता था। लेकिन जितनी तेजी से उन्हें स्टारडम मिला, उतनी ही तेजी से वह हाथ से निकल भी गया। साल 2000 में हुए एक भयानक एक्सीडेंट और उसके बाद करियर में आई कई मुश्किलों ने उनके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। चंद्रचूड़ सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते थे जब उन्हें कॉलेट थिएटर का शौक लगा। यहां उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता। डांस, ड्रामा से उन्हें शुरू से ही बेहद लगाव रहा।

महेश भट्ट के साथ कर चुके हैं काम

साल 1988 में अपनी गर्मियों की छुट्टी के दौरान, चंद्रचूड़ ने फिल्म निर्माता महेश भट्ट को एसिस्ट किया। एक साल बाद, उन्होंने सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ अपनी पहली फिल्म, जब प्यार किया तो डरना क्या साइन की। लेकिन ये फिल्म बंद हो गई। हालांकि इस पर लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था।इसके बाद उन्हें अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस एबीसीएल की फिल्म तेरे मेरे सपने से लॉन्च किया गया। फिर आई फिल्म माचिस जिसने उन्हें साल का बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड दिलवाया। चंद्रचूड़ ने क्या कहना, दागः द फायर में ऐश्वर्या राय के साथ और जोश में शाहरुख और ऐश्वर्या के साथ काम किया। इस मूवी में उन्होंने दो बड़े सितारों को कड़ी टक्कर दी।

कार हादसे में कंधे पर लगी चोट

हालांकि साल 2000 में गोवा में एक दुखद वॉटर-स्कीइंग हादसे के दौरान उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा और इसके कारण उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए। ठीक होने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और उन्हें अच्छे रोल मिलने बंद हो गए।

खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी का फर्स्ट लुक आया सामने,24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म

खुशाली कुमार इन दिनों अपनी नई फिल्म दुल्हनिया ले आएगी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में फिल्म का पहला लुक सामने आया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खुशाली ने खुद बताया है कि इस फिल्म में उनका रोल कितना अलग और उनके दिल के करीब है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर का भी कहना है कि इस बार दर्शकों को एक बिल्कुल अनोखी दुल्हन देखने को मिलने वाली है।खुशाली कुमार ने बताया कि जब उन्होंने इस फिल्म की कहानी सुनी, तो उन्हें तुरंत लगा कि यह रोल उन्हीं के लिए बना है। उन्होंने कहा, ÷मेरा यह किरदार कोई आम या सीधी-सादी दुल्हन जैसा नहीं है। वह बहुत मजबूत लड़की है, जो अपने फैसले खुद लेती है। वह निडर है, दिल की साफ है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है। खुशाली का मानना है कि इस किरदार में कई रंग हैं, जो फिल्म आगे बढ़ने के साथ दर्शकों को धीरे-धीरे समझ आएंगे।डायरेक्टर ने क्या कहा?फिल्म के डायरेक्टर आकाशदीप लामा ने बताया कि दुल्हनिया ले आएगी एक ऐसी फिल्म है,जो आज के जमाने के परिवारों, रिश्तों और उनकी उलझनों को बड़े ही मजेदार और कॉमिक अंदाज में दिखाएगी। डायरेक्टर के मुताबिक, फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी दुल्हन ही है। उसमें गजब का कॉन्फिडेंस है, थोड़ी शरारत है और वह दर्शकों को बार-बार सरप्राइज करेगी। यह फिल्म हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें हंसी भी है और इमोशन भी।फिल्म के पहले पोस्टर की बात करें तो उसमें खुशाली कुमार दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही हैं। कमाल की बात यह है कि लहंगे के साथ उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है। उनका यह कूल अंदाज साफ बताता है कि यह दुल्हन कितनी बिंदास और हटकर होने वाली है। अगर आप भी इस अनोखी दुल्हन की कहानी देखना चाहते हैं, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। यह मजेदार फिल्म 2 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आवारापन 2 का टीजर रिलीज,19 साल बाद गैंगस्टर शिवम बनकर लौटे इमरान हाशमी

इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। करीब 19 साल बाद अभिनेता एक बार फिर अपने चर्चित किरदार शिवम पंडित के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। टीजर में गैंगस्टर की खतरनाक और रोमांचक दुनिया की झलक दिखाई गई है, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस इमरान की वापसी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और 2007 में रिलीज हुई आवारापन की यादें ताजा कर रहे हैं।

टीजर में दिशा पटानी और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आती हैं। शबाना आजमी का रहस्यमयी और दमदार खलनायिका नफीसा वाला अंदाज काफी प्रभावशाली दिखाया गया है। वहीं, दिशा पटानी का किरदार भी रहस्य से भरपूर नजर आता है। निर्देशक नितिन कक्कड़ ने एक्शन और इमोशन का संतुलित मिश्रण पेश करने की कोशिश की है,जिससे सीक्वल पहले भाग की भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाता दिखाई देता है। फिल्म के पहले भाग की रिलीज के 19 साल पूरे होने के मौके पर जारी किया गया यह टीजर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने में सफल रहा है। टीजर की शुरुआत शिवम पंडित के अपने दर्दनाक अतीत को याद करने से होती है। इसके बाद जबरदस्त एक्शन, गैंगस्टरों से भिड़ंत और दमदार स्ट्रीट फाइट्स देखने को मिलती हैं। शबाना आजमी का इंटेंस लुक और दिशा पटानी का वायलिन बजाते हुए रहस्यमयी अंदाज कहानी को और दिलचस्प बनाता है। टीजर का समापन इमरान हाशमी के प्रभावशाली डायलॉग इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। के साथ होता है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। फैंस इमरान हाशमी की एंट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे दमदार एंट्री सीन बताया, जबकि कुछ ने टीजर को देखकर रोंगटे खड़े हो जाने जैसी प्रतिक्रिया दी। फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है, जबकि इसे विशेष भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं।

30 साल पुराना ये हिट गाना,हीरो को फीज करके कपड़े बदलने जाती थी हीरोइन,आज भी थिरकने पर मजबूर करता है सॉन्ग

90 दशक के एक सुपरहिट गाने की शूटिंग के दौरान हीरो और हीरोइन की हालत खराब हो गई थी। हीरो को काफी समय तक फ्रीज रहना पड़ता था। भारतीय फिल्में बिना गाने और डांस के अधूरी हैं। जितनी मेहनत फिल्म की कहानी को दिखाने में की जाती है, उससे ज्यादा मेहनत गाने की रिकॉर्डिंग और शूटिंग में होती है। आज से 30 साल पहले एक सुपरहिट गाना बना, लेकिन इसकी शूटिंग के चक्कर में हीरो और हीरोइन की हालत खराब हो गई थी।हीरो घंटों फ्री रहता और हीरोइन कपड़े बदल-बदलकर परेशान हो गई। खैर,मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। हीरो-हीरोइन की ये मेहनत रंग लाई। जब गाना रिलीज हुआ तो ऑडियंस का फेवरेट बन गया और लोग थिरकने से खुद को रोक नहीं सके।

अभिजीत भट्टाचार्या ने दी थी आवाज

यह गाना है शहर की लड़की जिसे रक्षक फिल्म में सुनील शेट्टी और रवीना टंडन पर फिल्माया गया था। इस गाने को चंद्र दीक्षित और अभिजीत भट्टाचार्या ने गाया था, जबकि लिरिक्स दीपक चौधरी ने लिखे थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त थे।

हीरो को होना पड़ा था फ्रीज

रवीना टंडन एक शो में माधुरी दीक्षित के साथ आई थीं। इस शो के दौरान एक्ट्रेस ने फिल्म रक्षक के गाने शहर की लड़की का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने इस गाने के एक सीन के पीछे का किस्सा शेयर किया था जिसमें सुनील शेट्टी को बार-बार फ्रीज होना पड़ता था। रवीना टंडन ने शो में बताया था कि गाने की शूटिंग के दौरान एक लाइन शूट होते ही सुनील वहां फ्रीज हो जाते थे और वह कपड़े, मेकअप और हेयरस्टाइल बदलने के लिए वैन की तरफ भागती थीं। फिर अगले शॉट में भी यही होता था। इसी तरह ये सिलसिला कई बार चला।

रवीना ने गाने में बदले 9 लुक्स

बता दें कि गाने के बोल हाथ मिलाके पूछे हाउ डू यू डू के दौरान रवीना ने चार लुक्स चेंज किए थे। इस पूरे गाने के लिए उन्होंने करीब 9 अलग-अलग लुक्स कैरी किए थे। यह गाना आज भी बहुत पॉपुलर है। इसे यूट्यूब पर 77 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

कॉकटेल 2 का दुनियाभर में तहलका,कोविड के बाद शाहिद की ऐसा करने वाली पहली फिल्म

होमी अदजानिया निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 को भले ही समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले हों, लेकिन दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया है। सिनेमाघरों में रिलीज के दो हफ्तों के भीतर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। यहां तक कि अक्षय कुमार की नई रिलीज वेलकम टू द जंगल भी इसकी रफ्तार को धीमा नहीं कर पाई और फिल्म लगातार करोड़ों की कमाई कर रही है। इसी के साथ कॉकटेल 2 ने शाहिद कपूर के करियर में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के 15 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 151.13 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है। भारत में फिल्म ने 94.21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो ग्रॉस के रूप में 111.16 करोड़ रुपये बनता है। वहीं,ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 39.97 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है।

इसके साथ ही कॉकटेल 2 इस साल दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। हालांकि, इसकी यह स्थिति खतरे में है क्योंकि अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल तेजी से इसका पीछा कर रही है और आने वाले वीकेंड में इसके आंकड़े को पीछे छोड़ सकती है।

यह फिल्म शाहिद कपूर के करियर के लिए भी बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को पीछे छोड़ते हुए यह कोविड के बाद शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, यह अभिनेता के करियर की कोविड के बाद 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म भी बन गई है।

फिलहाल फिल्म का मुकाबला वेलकम टू द जंगल से जारी है और अब बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट की नई रिलीज अल्फा भी इसे चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तीसरे वीकेंड में कॉकटेल 2 कितना कारोबार कर पाती है।

कॉकटेल 2 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। इसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई कॉकटेल की स्पिरिचुअल सीक्वल है। पहली फिल्म में सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

खेल समाचार

कोलंबिया ने घाना को हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

कैनसस सिटी,04 जुलाई 2026। कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने अजेय रिकॉर्ड को राउंड ऑफ 32 में भी बरकरार रखा है। टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हराया।इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया है।

मैच में शुरुआत से ही कोलंबिया ने आक्रामक खेल दिखाया और घाना के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया। टीम को इसका फायदा भी जल्द ही मिला। मैच के 14वें मिनट में जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दागा। लुइस जेवियर सुआरेज के असिस्ट पर एरियास ने शानदार गोल दागा। पहले हाफ में कोलंबिया ने बढ़त को दोगुना करने के कई मौके बनाए। लुइस डियाज ने बॉक्स के अंदर से एक अच्छा शॉट लगाया, लेकिन वह लक्ष्य से चूक गया। वहीं, जोहान मोजिका के हेडर को घाना के गोलकीपर लॉरेंस अती-जिगी ने शानदार तरीके से बचाया। घाना की तरफ से भी कुछ हमले किए गए, लेकिन टीम कोलंबिया के डिफेंस को पहले हाफ में भेदने में नाकाम रही।

दूसरे हाफ में भी कोलंबिया का दबदबा बना रहा। 56वें मिनट में लुइस डियाज ने एक और बार गेंद को नेट में पहुंचाया, लेकिन यह गोल ऑफसाइड होने के कारण अमान्य घोषित किया गया। इसके बाद भी कोलंबिया ने लगातार हमले जारी रखे,लेकिन टीम को दूसरा गोल करने में सफलता हाथ नहीं लग सकी। घाना की टीम पूरे मैच में कोलंबिया की मजबूत डिफेंस को भेदने में सफल नहीं हो पाई। मैच के दौरान घाना का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लग सका।

अंतिम मिनटों में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और डिफेंस को मजबूत बनाए रखा। टीम ने संयम के साथ खेलते हुए घाना को कोई बड़ा मौका नहीं दिया और 1-0 की बढ़त को अंत तक बनाए रखा। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से 8 जुलाई को वैंकूवर में होगा। स्विट्जरलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट हासिल किया है।

भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी और 2024 पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड्स पर आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दर्ज करते हुए एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2025-26 का शानदार समापन किया, जबकि दुनिया की नंबर 3 इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शन ने उस पक्ष को प्रतिबिंबित किया जिसने टूर्नामेंट के हर चरण के साथ गति पकड़ी, विश्व कप और एशियाई खेलों से पहले मूल्यवान आत्मविश्वास का निर्माण किया।

यह ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप पथ तीन अलग-अलग चरणों के दौरान बनाया गया था। भारत को राउरकेला में घरेलू चरण के दौरान प्रो लीग की कठिन शुरुआत का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें बेल्जियम और अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। टीम को पता था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें कुछ चिंताओं का समाधान करना होगा। होबार्ट चरण के दौरान सुधार के संकेत उभरे। स्पेन से 0-2 से हार के साथ शुरुआत करने के बाद, भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से बराबरी पर रोककर वापसी की। इसके बाद स्पेन के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रा रहा। हालाँकि, उन दोनों मैचों में शूटआउट विपक्षी टीम के पक्ष में गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 से कड़े मुकाबले के बाद शूटआउट में 3-1 से जीत हासिल कर टीम ने अंतिम मैच में अच्छा प्रदर्शन किया।

होबार्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा में सुधार था। भारत ने चार मैचों में केवल छह गोल खाए - तीन पेनल्टी कॉर्नर से और तीन फील्ड गोल - जबकि दो फील्ड गोल और दो पेनल्टी-कॉर्नर रूपांतरण के साथ हमले में सुधार जारी रखा। जून में जब प्रो लीग यूरोप पहुंची, तब तक ऊपर की ओर बढ़ना स्पष्ट था। रॉटरडैम में, भारत ने अभियान के अपने दो बेहतरीन परिणाम पेश किए, जर्मनी को 3-1 से और नीदरलैंड को 3-2 से हराया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी की दो सबसे मजबूत रक्षात्मक इकाइयों के खिलाफ, भारत ने चार मैचों में नौ गोल किए,जिनमें से पांच फील्ड प्ले से और चार पेनल्टी कॉर्नर से आए। इन आंकड़ों ने भारत के आक्रमणकारी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया।

मेसी ने तोड़ा माराडोना का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी का शानदार प्रदर्शन जारी है। मेसी हर मुकाबले के साथ नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। काबो वर्डे के खिलाफ खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में भी मेसी ने एक और बड़ी उपलब्धि को अपने नाम किया।मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (गोल करने में मदद) करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेसी वर्ल्ड कप में अब कुल 9 असिस्ट कर चुके हैं,जबकि माराडोना ने अपने करियर के दौरान विश्व कप में 8 असिस्ट किए। मेसी इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार आठ मुकाबलों में गोल करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने काबो वर्डे के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक गोल दागते हुए अर्जेंटीना को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।अर्जेंटीना के कप्तान ने काबो वर्डे के खिलाफ मैच का पहला गोल किया। उन्होंने 29वें मिनट में लिसेंड्रो मार्टिनेज से मिले बेहतरीन पास को गोल में तब्दील किया। यह मेसी का विश्व कप में 20वां गोल रहा। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पहले ही मेसी अपने नाम कर चुके हैं। मेसी दो विश्व कप में 7 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं। मेसी को कड़ी टक्कर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से मिल रही है, जो 6 गोल कर चुके हैं।

CMYK

करंट का कहर:

तीन जिलों में अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की मौत,

कई परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

करंट की चपेट से मासूम से लेकर बुजुर्ग तक की गई जान

लापरवाही बनी मौत की वजह, प्रशासन से उठे सवाल

छत्तीसगढ़ : करंट लगने से 6 लोगों की मौत

बिलासपुर में पूर्व सरपंच,2 बेटों की जान गई,रायपुर में 2 मजदूर चपेट में आए...

रायपुर,04 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में करंट लगने के दो अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की जान गई है। पहली घटना बिलासपुर की है जहां खेत में काम करने गए पूर्व सरपंच समेत परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में मां और उसके दो बेटे शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब मां-बेटे खेत में काम कर रहे थे। शाम को जब मृतका के पति खेत पहुंचे, तब हादसे की जानकारी हुई। यह पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम भाड़म का है। पुलिस के मुताबिक,ग्राम भाड़म निवासी पूर्व सरपंच दसन बाई शुक्रवार सुबह अपने खेत में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए मेड़ पर जीआई तार और नायलॉन की रस्सी से घेराबंदी करने गई थीं। उनके साथ बड़ा बेटा विवेक सिंगरौल (23) और छोटा बेटा सत्यव्रत सिंगरौल (14) भी गया था। इसी दौरान खेत में बिछे तार में अचानक करंट दौड़ गया और तीनों उसकी चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि तीनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत की वजह करंट लगना मानी जा रही है, लेकिन खेत में करंट कैसे पहुंचा, यह अब तक साफ नहीं हो सका है।

इधर, रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में शनिवार को मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते समय दो मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुरानी बस्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतकों के नाम प्रमोद चंद्राकर (25) और आशीष चंद्राकर (19) है।

बिलासपुर : खेत में मां और 2 बेटों के शव पड़े थे...

मृतका के पति सीताराम सिंगरौल पेशे से ड्राइवर है, वो काम पर गया था। शाम को घर लौटने पर पत्नी और दोनों बेटे घर में नहीं मिले। पहले उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर खेत पहुंचे। वहां पत्नी और दोनों बेटों के शव पड़े मिले। यह दृश्य देखकर वे बदहवास हो गया और तुरंत कोटा पुलिस को सूचना दी।

मां को बचाने दौड़े बेटे, एक-एक कर करंट की चपेट में आए : शुरुआती जानकारी के मुताबिक, खेत में काम के दौरान सबसे पहले मां करंट की चपेट में आईं। उन्हें बचाने के लिए दोनों बेटे एक-एक कर आगे बढ़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। देखते ही देखते मां और दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस : घटना की जानकारी मिलते ही कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। देर शाम होने की वजह से शवों का पोस्टमॉर्टम उसी दिन नहीं हो सका। शनिवार को तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिवारवालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। शुरुआती जांच में मौत की वजह करंट लगना मानी जा रही है, लेकिन खेत में करंट कैसे पहुंचा, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। आशंका है कि किसी बिजली तार के संपर्क में आने या तकनीकी गड़बड़ी के कारण जीआई तार में करंट प्रवाहित हुआ होगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, खैरागढ़ जिले के ग्राम तेली खपरी में 16 वर्षीय आशीष साहू घर के बाहर लगी लाइट चालू कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन उसे तत्काल सिविल अस्पताल खैरागढ़ लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही करंट से मौत की घटनाओं ने बिजली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में खुले बिजली तार, खराब वायरिंग और हाई वोल्टेज लाइनों के पास काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन और बिजली विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि विद्युत उपकरणों का उपयोग पूरी सावधानी के साथ करें।

रायपुर में 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत

पुलिस के मुताबिक, तीन मजदूर रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित एक मकान की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पैनल या उसे उठाने के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा उपकरण पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तेज करंट लगते ही दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीसरा मजदूर बाल-बाल बच गया।

Red Bull और Sting ब्रांड्स को FSSAI ने भेजा नोटिस

रायपुर,04 जुलाई 2026। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रेड बुल और स्टिंग जैसे नामी ब्रांड्स को नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ा नोटिस थमा दिया है।

दरअसल,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का साफ कहना है कि भारत के खाद्य सुरक्षा नियमों में 'एनर्जी ड्रिंक' नाम की कोई मान्यता या तय मानक मौजूद ही नहीं है। ऐसे में कंपनियां अपने कैफीन वाले ड्रिंक्स को 'एनर्जी ड्रिंक' बताकर और ऊर्जा बढ़ाने जैसे बड़े-बड़े दावे करके धड़ल्ले से बाजार में नहीं बेच सकती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मुख्य रूप से चार बड़े ब्रांड्स को कटघरे में खड़ा करते हुए नोटिस जारी किया है। Hell Energy Drink, Adrenaline Rush, Red Bull और Sting Energy Drink को नोटिस भेजा गया है।

भ्रामक दावों पर रोक : नियामक संस्था ने कंपनियों के उन दावों पर सख्त आपत्ति जताई है जिसमें कहा जाता है कि इसे पीने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, फोकस बेहतर होता है, दिमाग सक्रिय होता है या कमजोरी दूर होती है।

लेबलिंग का खेल बंद : फूड कैटेगरी सिस्टम का इस्तेमाल करके कोई भी ब्रांड अपनी मर्जी से लेबलिंग का खेल नहीं खेल सकता। नियमों के तहत ऐसे चिकित्सीय दावे पूरी तरह से बैन हैं।

स्कूलों के पास बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध : इधर, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी इस मामले में एक बड़ा कदम उठाए जाने की खबर है। वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में Sting और अन्य ऐसे पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहां के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।

नवा रायपुर के तूता गांव में 35 घरों को नोटिस

ग्रामीण बोले...नकटी जैसी कार्रवाई का डर,एनआरडीए ने कहा-विस्थापन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं

रायपुर,04 जुलाई 2026। नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब राजधानी से लगे तूता गांव में भी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। नवा रायपुर-अटल नगर विकास प्राधिकरण ने गांव के 35 मकानों पर नोटिस चस्पा कर निवासियों से 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस मिलने के बाद गांव के लोगों में अपने घरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों को यह डर है कि कहीं उनके साथ भी नकटी गांव जैसी कार्रवाई न हो जाए। हालांकि,एनआरडीए ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गांव में किसी तरह की बेदखली या बुलडोजर कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। अभी केवल शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनआरडीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित मकान प्राधिकरण की जमीन पर बने हैं। नोटिस में प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अगर तय समय तक वे जवाब नहीं देते हैं, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण बोले...पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं...

नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कई परिवार पिछले 25 से 50 वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं। यहां उनकी कई पीढ़ियां बसी हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर मकान अवैध थे तो इतने वर्षों तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ग्रामीणों ने नोटिस हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि नोटिस के बाद पूरे गांव में भय और असमंजस का माहौल है।

पीएम आवास को भी नोटिस,खेत बेचकर और लोन लेकर बनाया था घर

रेखा सोनवानी ने बताया कि साल 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि मिली थी। बाकी रकम उन्होंने खेत बेचकर और कर्ज लेकर जुटाई। करीब 10 लाख रुपए की लागत से उन्होंने अपना घर बनाया। रेखा ने कहा...अभी यह नहीं पता कि हमारा घर टूटेगा या नहीं,लेकिन नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है। नकटी गांव में भी पहले नोटिस दिए गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास वाले मकानों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। यही डर हमें भी सता रहा है। हमने खेत बेचकर और लोन लेकर यह घर बनाया है। अगर यह भी टूट गया तो हम कहां जाएंगे?' हमारे पार खेत भी नहीं है।

18 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव

एनआरडीए के अनुसार, तूता गांव की करीब 18 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का प्रस्ताव है। इसी संबंध में संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 6 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है।

एनआरडीए बोला...अभी विस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं

एनआरडीए ने कहा है कहना है कि ग्राम तूता में फिलहाल किसी भी प्रकार की विस्थापन या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। अभी केवल शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

शिकायत के बाद जारी हुए नोटिस

एनआरडीए के मुताबिक, गांव में अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण कराया और संबंधित लोगों को प्राथमिक कारण बताओ नोटिस जारी किए। प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है। 2 जुलाई को गांव के प्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की।

जंगल में चीतल का शिकार पड़ा भारी,मांस पकाते वक्त 7 शिकारी वन विभाग के हत्थे चढ़े

कवर्धा,04 जुलाई 2026। जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सभी ने भलपहरी बीट के जंगल में एक नर चीतल का शिकार कर उसका मांस पकाना शुरू कर दिया था। सूचना मिलते ही वन विभाग और वन विकास निगम की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सभी को मौके से दबोच लिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, करीब तीन साल के नर चीतल को नायलॉन की रस्सी और स्टील के तार से बने फंदे में फंसाकर शिकार किया गया था। जानवर की मौत के बाद आरोपी जंगल में ही उसका मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने मौके से करीब 500 ग्राम पका हुआ मांस, तीन कुल्हाड़ियां, फंदे और खून से सने थैले सहित शिकार में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान जब्त किए हैं।

कांग्रेस बोली-जी-राम-जी योजना सभी राज्यों में समान होनी चाहिए,हरियाणा के मजदूर को 409,छत्तीसगढ़ को सिर्फ 300 रुपए क्यों...यह अन्याय है...

रायपुर,04 जुलाई 2026। केंद्र सरकार की नई जी-राम-जी (ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन) योजना लागू होने के बाद कांग्रेस ने मजदूरी दर में राज्यों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। धनंजय ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में मजदूरों को 409 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है,जबकि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को केवल

300 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब योजना पूरे देश में एक समान लागू की गई है, तो मजदूरी दर भी सभी राज्यों में समान होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरी दर में समानता लाने की मांग करते हुए कहा कि राज्यों के आधार पर अलग-अलग भुगतान करना ग्रामीण मजदूरों के साथ अन्याय है। केंद्र सरकार ने बुधवार से मनरेगा की जगह जी-राम-जी योजना लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में दैनिक मजदूरी 255 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। संशोधित मजदूरी दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। सरकार का दावा है कि, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, आजीविका को मजबूत करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए गांवों में दीवार लेखन,पोस्टर,होर्डिंग और पंपलेट के जरिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए धान और गेहूं की बुआई और कटाई के पीक सीजन में नए कार्यों की स्वीकृति पर रोक का प्रावधान किया गया है।

हत्या के दोषी की दया याचिका पर हाईकोर्ट का इनकार : जेल नियमों में पुनर्विचार का प्रावधान नहीं,छात्र की हत्या में मिली थी सजा...

बिलासपुर,04 जुलाई 2026। बिलासपुर हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ जेल नियमों के तहत एक बार दया याचिका खारिज होने के बाद उस पर पुनर्विचार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कैदी ने अपनी दया याचिका पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। दरअसल, बिलासपुर के कुदुदंड निवासी नीरज माली उर्फ गोलू को वर्ष 2001 में एक छात्र की हत्या और बलवे के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उसकी अपील हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई थी, जिससे उसकी सजा बरकरार रही। सजा बरकरार रहने के बाद कैदी नीरज ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर कर शेष सजा माफ करने की गुहार लगाई थी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)